रतलाम किधर ?

(वहां के स्वेच्छाचारी शासन का नंगा चित्र)

लेखक और प्रकाशक:—

श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार

मारवाड़ी प्रगति संघ,

...नुमान रोड, नई दिल्ली।

मई १६४४

(क़ीमत चार आना)

मुद्रकः—
अर्जुन प्रेस, देहली।

मिलने का पताः—
मन्त्री—"मारवाड़ी प्रगति सङ्घ"
४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली।

दो शब्द

रतलाम का शासन और उसके कारण वहां के महाराजा इधर काफी आलोचना के विषय रहे हैं। भारत के अन्य देशी राज्यों के समान रतलाम का शासन भी एकतन्त्र स्वेच्छाचारिता का जीता-जागता नमूना है। जनमत का सर्वथा निरादर कर उसका संचालन किया जाता है। स्वेच्छाचारी और एकतन्त्री नरेशों को जब कुछ मुंहलगे चापलूस मिल जाते हैं, तब करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति पैदा होकर प्रजा के लिए असह्य हो जाती है और उसकी दबी हुई भावनायें जन-जागृति एवं जन-आन्दोलन का उग्र रूप धारण कर लेती हैं। मेजर शिवजी के हाथों में महाराजा के फंस जाने से रतलाम राज्य का कुशासन बद से बदतर हालत में पहुँच चुका है। उसके विरोध में रतलाम की दबी हुई प्रजा एक करवट ले चुकी है। उसकी जागृति आन्दोलन के रूप में भी प्रगट हो चुकी है। वीरवर मैकस्विनी और अमरशहीद यतीन्द्र के समान

जन-जागृति के इस मुहूर्त वेला में वीर युवक बिहारीलाल व्यास और मूक जनसेवक गफूरखां का उत्सर्ग हो चुका है। जेल-शासन की कठोरता की वेदी पर दोनों की कुर्बानी हुई है। षड़यन्त्र का एक लम्बा मुकद्दमा चलाया जाकर जन-जागृति की इस धधकती आग को निस्सन्देह दमन की राख के तले दबा दिया गया है। किन्तु उसके फिर से सुलगने की सम्भावनायें सर्वथा नष्ट नहीं हो गईं। फिर से धांय-धांय करके उसके प्रज्वलित होने के आसार कई बार प्रगट हो चुके हैं। आज भी ज्वालामुखी के पेट में भीतर ही भीतर एक भीषण क्रान्ति के लिये लावा तय्यार हो रहा है। लेकिन, उसकी चोटी पर सिर रख कर सोये हुए अधिकारी अपने दमन और शोषण पर भरोसा रख कर निश्चिन्त से जान पड़ते हैं। इसी से उनकी मनमानी और स्वेच्छाचारिता का बाजार आज भी वैसा ही गरम है। यह मूर्खता उन्हें ले डूबेगी।

इधर पता चला है कि भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग का ध्यान भी रतलाम के कुशासन की ओर गया है। सर सिरेमल बापना सरीखे अनुभवी और पोलिटिकल विभाग के विश्वासपात्र

व्यक्ति भी जब रतलाम में निभ नहीं सके और उन्हें पत्नी की मृत्यु के ठीक बाद सहसा जिस प्रकार रतलाम की दीवानी से स्तीफा देकर उसको छोड़ने को लाचार होना पड़ा, इससे पोलिटिकल विभाग की भी आंखें खुल गई जान पड़ती हैं। मेजर शिवजी को रतलाम से अलग करके उसके आस-पास दो-सौ मील की सीमा में आने से रोक दिया गया है। वे भूपाल में डेरा डाले हुए हैं। उनके कुछ साथी उज्जैन में पड़े हुए हैं। राज्य की मोटरें उज्जैन और भूपाल का चक्कर काटती हुई प्रायः देखी जाती हैं। उनमें कई बार महाराजा भी देखे गए हैं। इस प्रकार कुशासन का यह कुचक्र बराबर पहिले के समान चल रहा है। मध्यभारत देशी राज्य लोक परिषद् के प्रधानमन्त्री और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की स्थायी समिति के सदस्य श्री कन्हैयालालजी वैद्य को रतलाम के वारेण्ट पर जिस ढङ्ग से उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, उससे इस कुचक्र का कुछ भांडा फोड़ होकर रतलाम का कुशासन इधर विशेष चर्चा और आलोचना का विषय बन गया। उस चर्चा और आलोचना का ही परिणाम यह छोटी-सी पुस्तिका है। इसमें रतलाम राज्य

और उसके कुशासन का पूरा-पूरा चित्र खींच दिया गया है।

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधान पण्डित जवाहरलालजी नेहरू की प्रेरणा पर श्री सारंगधरदास, और श्री द्वारिकानाथ काचरु ने मारवाड़ (राजपूताना और मध्यभारत) के कुछ देशी राज्यों का दौरा १६३६–४० में किया था और उस समय इधर की रियासतों के सम्बन्ध में कुछ साहित्य भी प्रकाशित किया गया था। तब रतलाम राज्य पर भी एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। उसको देखकर डा० पट्टाभि सीतारामैया ने रतलाम की कुर्बानियों पर दो शब्द लिखे थे। जुलाई १६४० में लिखे गये वे शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं। उनको हम यहां दिये विना रह नहीं सकते। उन्होंने "ये कुर्बानियां व्यर्थ न जायेंगी"—शीर्षक से लिखा था कि:—

"अगर किसी को कोई शङ्का बाकी होगी, तो वह इस रिपोर्ट से दूर हो जायगी और जनता को जंच जायगा कि बीस लाख की आबादी अथवा पचास लाख रुपये वार्षिक की आमदनीवाली छोटी रियासतों को शासनकी दृष्टिसे अकेले या सामूहिक रूप में अपने

पास के अंग्रेजी इलाके में शरीक कर देना चाहिये। वाइसराय ने भी कुछ परिवर्तित रूप में इस उसूल को मान लिया है। रतलाम जैसी छोटी रियासत के बारे में खयाल तो कीजिये। इसकी आबादी एक लाख से कुछ ज्यादा और सालाना आमदनी कोई दस लाख रुपये है। रतलाम के राजा इस आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने खर्च में लगा लेते हैं। खालसा के १३ गांवों के पीछे एक प्रायमरी स्कूल है और ७१ गांवों के लिए एक अस्पताल। राज्य का दीवान शिक्षा विभाग का सर्वेसर्वा है। वहां न तो कोई किसानों के लिए बैंक है और न कोई कोआपरेटिव सोसाइटी। रतलाम में ३१ जागीरदार हैं जो बड़े तानाशाह के मातहत छोटे, गैरजवाबदार तानाशाह हैं। वहां न कोई मजदूरों के लिए कानून है, न काम के घण्टों की कोई गिनती है, न तनख्वाह की बराबर बढ़ती होती है, न तन्दुरुस्ती के लिए इंतजाम है और न पढ़ाई के लिए कोई तजवीज। ऐसी स्थिति में भी रतलाम की प्रजाके सर पर दस रुपये प्रति व्यक्ति भारी टैक्स का बोझा है। इसके सिवाय भी अन्य कई और बोझे हैं। कर्ज़दारी तथा सूदखोरी के चक्कर भी उन पर चलते हैं और

उनका शोषण होता है। अफसरों के जाल का भी उन्हें शिकार होना पड़ता है। जनता को वहां न तो शहरी आजादी है और न वहां गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी करनेकी जरूरत है। जहां पर ऐसी हालत हो, वहां कोई अखबार बन्द किए जावें, प्रजामण्डल वालों को परेशान किया जावे तथा प्रजातन्त्री सरकार की मांग को पार्टीबाजी के चक्कर में व्यर्थ की चीज समझा जावे और प्रजा का गला घोंटा जावे, तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। किन्तु घटनाओं के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। ताकतवर भी गिर गए हैं। आज हर जगह नया इन्तजाम फैलता जा रहा है। हिन्दुस्तान भी मौजूदा समय में मध्यकालीन प्रथाओं का शिकार बनकर सड़ता नहीं रहेगा। इसी तरह बीसवीं सदी के हिन्दुस्तान में ५६२ देशी रियासतें भी क़ब्रस्थान के रूप में नहीं रह सकती। ऐसी हालत में रतलाम में कार्यकर्ताओं ने जो खून बहाया है, वह ऐसे नए देशभक्तों को जन्म देनेवाला होगा, जो रतलाम में और दूसरे राज्यों में भी प्रतिनिधि संस्थाओं और जिम्मेदार हुकूमत पाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। रतलाम कुर्बानी में अकेला नहीं है। भारतवर्ष की रियासती जनता

भी अपने आसपास के प्रान्तों के साथ बैठकर अपने को काम लायक बनाने के लिए जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है।

भारतीय स्वतन्त्रता की लहरों को केन्यूट की भांति भारत के राजा और उनके पिट्ठू कोई भी अपने पैरों तले रोक रखने की ताकत नहीं रखते हैं। उन्हें या तो स्वराज्य की बढ़ती हुई लहरों के लिए जगह कर देनी चाहिए या अपने को उस प्रवाह में डुबाने के लिये तैयार रखना चाहिए।"

जिस 'मारवाड़ी प्रगति संघ' की ओर से यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है, उसका परिचय पुस्तिका के अन्त में दिया गया है। मारवाड़ के सभी देशी राज्यों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित करने का विचार किया जा रहा है। उसके लिए उपयुक्त योजना भी बनाई जा रही है। "मारवाड़ी प्रगति संघ" की ओर से "मारवाड़ी पब्लिसिटी ब्यूरो" का संचालन किया जा रहा है, जो मारवाड़ के देशी राज्यों के जन-आन्दोलन के लिये एकमात्र समाचार-समिति और प्रकाशन संस्था है। इसकी ओर से नियमित रूप से सब समाचार-पत्रों को समाचार और उनके सम्बन्ध में

कभी-कभी विचार भी भेजे जाते हैं। लेकिन, 'संघ' का संगठन अभी पूरा नहीं हो सका है। उसके पूरा हो जाने के बाद ही 'संघ' की ओर से पूरी तरह कार्य शुरु किया जा सकेगा। संघ के विधान में मारवाड़ शब्द समस्त राजपूताना तथा मध्यभारत के लिये प्रयुक्त किया गया है और मारवाड़ी से अभिप्राय उन सब लोगों से है, जिनका सम्बन्ध सिन्ध से हरियाना तक फैले हुए इस सारे मरु-प्रदेश 'मारवाड़' के साथ है, भले ही वे राजा, महाराजा, ठिकानेदार, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, ब्राह्मण आदि में से किसी भी जाति, सम्प्रदाय एवं वर्ण के क्यों न हों और किसी भी देशी राज्य में क्यों न रहते हों अथवा अपने व्यापार-व्यवसाय के लिये देश के किसी भी भाग में जाकर क्यों न बस गए हों? इस व्यापक भावना से संगठित संस्था को जो व्यापक सहयोग एवं सहायता मिल रही है, वह आशापूर्ण है। उसी के प्रकाशन विभाग की ओर से यह पुस्तिका कुछ उदार महानुभावों की गुप्त किन्तु उदार सहायता से प्रकाशित की जा रही है। आशा है देशी राज्यों की दीन, हीन एवं पराधीन स्थिति में पड़ी हुई मूक प्रजा की सेवा के लिए इस

ओर ऐसे साहित्य के प्रकाशन की दिशा में उठाये गये इस कदम की सराहना की जायगी और स्वागत भी किया जायगा। जनता जनार्दन और उदार धनीमानी सज्जनों के जिस सहयोग के बिना यह प्रयास सफल नहीं हो सकता, उसकी हम आशा एवं अपेक्षा रखते हुए याचना भी करते हैं।

४०ए, हनुमान रोड़
नई दिल्ली १५ अप्रैल
१६४४.

सत्यदेव विद्यालंकार
मन्त्री "मारवाड़ी प्रगति-संघ"

१. राज्य का विवरण

रतलाम मध्यभारत की मालवा एजेन्सी का एक छोटा राज्य है। इसके चारों ओर पूर्व में ग्वालियर, पश्चिम में कुशलगढ़ और बांसवाड़ा (राजपूताना) उत्तर में जावरा और प्रतापगढ़ (राजपूताना), दक्षिण में धार, इन्दौर और कुशलगढ़ (राजपूताना) की रियासतें हैं। सैलाना राज्य से इसकी सरहद मिली-जुली है। रतलाम के शासक को १३ तोपों की और राज्य में १५ तोपों की सलामी दी जाती है। शासक पोलो के ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी हैं और सन् १९१८ से २२ तक रीवां शासक की नाबालगी में रीवां के रिजेन्ट भी रह चुके हैं।

राज्य का क्षेत्रफल ६८७ वर्गमील, आबादी १२६११७ और वार्षिक आमदनी १५ लाख रुपये की है। इस रकम में से रतलाम ४२ हजार अंग्रेजी हकूमत को और ८०० रुपया ग्वालियर राज्य को वार्षिक टांका देता है।

यहां के राजघराने के पूर्वज जोधपुर राजघराने के थे। राजा रतनसिंह ने रतलाम का राज्य कायम किया था, जो १६५८ में फतिहाबाद की लड़ाई में मारे गये थे। इसी प्रकार उनका बड़ा लड़का भी सन् १६८२ में मारा गया। इनके लड़के शिवसिंह ने १६८४ तक राज्य किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई केशोदास गद्दी पर बैठे। १६६५ में शाहनशाह औरंगजेब ने केशोदास को गद्दी से हटा कर उनके काका छत्रसाल को गद्दी पर बिठाया। सन् १८१६ तक, जब कि रतलाम में राजा परबतसिंह का शासन था, ग्वालियर के शासक महाराजा शेंधिया का रतलाम के शासन में हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण था। शेंधिया की फौजें रतलाम राज्य में, जिसका खर्च रतलाम को देना पड़ता था, रहती थीं; किन्तु १८१६ में सर मालकम ने भारत सरकार की ओर से रतलाम का ग्वालियर से एक करार करवा दिया। इसके अनुसार रतलाम के राजा परबतसिंह ने शेंधिया महाराजा को वार्षिक ८५००० शालिमशाही रुपया टांके का देना मंजूर किया। बदले में महाराजा शेंधिया ने रतलाम के शासन में हस्तक्षेप और नियन्त्रण बन्द किया तथा अपनी फौजें रतलाम

राज्य से हटा लीं। १८४४ और १८६० में दूसरी संधियां हुई और उनके अनुसार अब यह टांके की रकम रतलाम भारत सरकार को देती है। परबतसिंह १८२४में निःसन्तान मरे। अतएव सलूम्बर के शासक के भतीजे बलवन्तसिंह को गोद लिया गया, जो १८५७ तक गद्दी पर रहा। १८५७ के स्वाधीनता के युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में उसको कुचलने के लिये जो सेवा रतलाम राज्य ने की उसके बदले में बलवन्तसिंह के दत्तक उतराधिकारी भैरोसिंह को एक खिलत और ३००० रुपये सरकार से मिले। भैरोसिंह १८६४ में ही दो वर्ष के बच्चे रणजीत-सिंह को छोड़ कर मर गए। अंग्रेजी सरकार ने नाबालिग के काका और सरवन के ठाकुर के साथ मीर शामत अली को रतलाम शासन का सुपरन्टेन्डेन्ट बनाया। सन् १८६७ में रतलाम के राजा को ११ तोप की स्थायी सलामी का अधिकार दिया गया, जो १८७७ में १३ तोप का किया गया। वह राजा रणजीतसिंह के जीवन काल तक के लिये ही था। १८८० में रणजीतसिंह को राजसत्ता मिली। १८८० में रतलाम और ग्वालियर के बीच भारत सरकार ने रूनीजा खाचरोद की सड़क के लिए करार करवाया,

जिसका कुछ हिस्सा रतलाम की हद से निकला है। १८६३ में राजा रणजीतसिंह मर गए और वर्तमान महाराजा सज्जनसिंह को गद्दी मिली। उन्हें १८६३ में नाबालिग होने से १८६८ में शासन के अधिकार मिले। १६०६ में सरवन ठिकाने के एक गांव पर जावरा, पिपलोदा और रतलाम ने अपना दावा किया। किन्तु तीनों का दावा खारिज कर वह गांव अमरगढ़, सरवन ठिकाने का ही मध्यभारत के एजेन्ट गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया।

१६१८ में १३ तोप की स्थायी सलामी का अधिकार भारत सरकार ने दिया तथा १६२१ में एक सनद के द्वारा महाराजा का खिताब वंशपरम्परा के लिए और १५ तोप की स्थायी सलामी राज्य की हद में भारत सरकार ने स्वीकार की। इस प्रकार इनके अधिकार पर लगाए गए सब प्रतिबंध दूर कर फौजदारी के पूरे अधिकार इन्हें वंश-परम्परा के लिए भारत सरकार ने दे दिये।

२. आर्थिक व्यवस्था

शासन की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देने वाली रिपोर्ट पिछले ४५ वर्ष में दो तीन बार से

अधिक प्रकाशित नहीं हुई। यद्यपि रतलाम के शासक सज्जनसिंहजी गद्दी पर बैठने के बाद सन् १९२१ में राजा से महाराजा, ११ से १३ तोप की सलामी और स्थायी रूप से अधिकार-वृद्धि के खरीते पा चुके; किन्तु फिर भी शासन की व्यवस्था तथा आर्थिक बाजू में कोई सुधार न हुए और न रिपोर्ट ही प्रकाशित की जाने लगी। राजा से महाराजा होने पर जनता आशा करती थी कि अब शासन भी सुधरेगा। पर, उसे बुरी तरह निराश ही होना पड़ा। सन् १९०७-८ के बाद अनेक आलोचनाओं, आन्दोलनों, दीवानों की सलाह और पोलिटिकल विभाग की हिदायतों के बाद १९३९में शासनकी दूसरी रिपोर्ट निकली। उसके बाद भी कुछ रिपोर्ट निकाली गई हैं, किन्तु वे उतनी ही गुप्त हैं, जितना महाराजा के राजमहल का रणवास। जनता को उसके दर्शन नहीं होते और न चर्चा व आलोचना के लिए वे प्राप्त होती हैं। सन् १९३९ में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उससे पता चलता है कि १९३८ में महाराजा और उनके राजघराने के लोगों पर राज्य की आमदनी का ५० प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया। महाराजा और उनके कुटुम्ब का खर्च १,७१,८४८, महाराजकुमारी की शादी में

३३७०००, महल का रसोईघर बनाने में २१७२३ और निजी खर्चे में २७५००; कुल ५५८०७१ रुपये १०१७७२५ की वार्षिक आमदनी में से खर्च हुए। महाराजकुमारी के विवाह में कितना खर्च हुआ इसका तो पूरा पता बताया ही नहीं गया। वर्ष के अन्त तक जितनी रकम के बिल चुकाए गए हैं, उनके अङ्क रिपोर्ट में दिये हैं। पी०डब्ल्यू०डी०का हाल भी विचित्र है। आधे से अधिक रुपया महाराजा के मौज बहार, शौक, ऐश आराम, रहने के महल-मकानों में खर्च किया गया है, जबकि जनहित के कामों पर नहीं के बराबर। २५ हजार रुपया मोटरें खरीदने और नौकरों पर खर्च किया गया। घुड़साल और पोलो के घोड़ों पर १६८७० रु० खर्च किया गया। महमानों और राज्य के क्लब पर २८०२८ रुपया खर्चा हुआ। शिक्षा विभाग पर २२०४० और मेडिकल विभाग पर केवल १८१३५ रु० खर्च किया गया, जबकि पुलिस विभाग पर ३४६३६ और मिलिट्री पर ६५३०२ रु० खर्च किया गया। यही क्रम महाराजा के ४५ वर्ष के शासन में चलता रहा।

राज्य में शिक्षा का प्रचार नहीं है। अज्ञानता और दरिद्रता का चारों घोर साम्राज्य छाया हुआ है।

मेट्रिक से आगे शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। राज्य में पढ़े लिखे लोगों की संख्या नाममात्र की है। जो भी हैं या तो वे राज्य की छोटी छोटी नौकरियों या व्यापारमें लगे हैं, बड़ी नौकरियां तो बाहर के लोगोंके लिए महाराजा के शासन में सुरक्षित रहती आई हैं और आज भी राज्य के उच्च पदों पर प्रायः बाहरी लोग बैठे हुए हैं। उनका सदा यह ध्येय रहा और रहता है कि जितना कमाया जा सके, नौकरी के दिनों में कमाया जाय और समय पड़ने पर बिस्तर बांधकर विदा ले ली जाय। रतलाम की वर्तमान गिरी हुई हालत का यह भी एक कारण रहा है।

३. जनता का शोषण

राज्य की आम जनताका और किसानों का लगान और भारी टैक्सों द्वारा खूब शोषण होता रहता है। जब कि उनकी भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए नाममात्र का भी खर्च नहीं किया जाता है, तब महाराजा और उनके राजघराने की शान को कायम रखने के लिए जनता के धन को बुरी तरह फूँका जाता है। जनता की दरिद्रता को बढ़ाने के लिए राज्य के भारी असह्य टैक्स और लगान जहां किसानों का

शोषण करते हैं, वहां उनकी अज्ञानता से पुलिस; रेवेन्यू के कर्मचारी और सूदखोर व्यापारी भी खूब लाभ उठाते हैं। राज्य के देहात दरिद्र, अज्ञान एवं पीड़ित नर-कंकालों से भरे पड़े हैं और बहुत ही दुःखजनक दृश्य पेश करते हैं। कपड़े और खाद्य पदार्थों की असह्य महंगाई ने देहात की जनता की कमर तोड़ दी है। अनेकों परिवार फटे चिथड़ों में आधे पेट रहने लगे हैं। नाज के अभाव के कारण गवालियर तथा धार आदि पास की रियासतों से थोड़ा थोड़ा नाज लाकर लोग पेट भरते हैं। न तो राज्य ने सस्ता नाज और न सस्ता कपड़ा देहातियों को दिया है। यही क्यों; पिछले युद्ध में प्रति हल ७) के हिसाब से जो वार लोन लिया गया था, वह पिछले युद्ध के बाद भारत सरकार ने लौटा दिया है; फिर भी राज्य ने आजतक देहाती किसानों को नहीं दिया है। अनेकों किसान तो मर भी चुके हैं।

४. बामनिया भील हत्याकाण्ड

तीन वर्ष पूर्व रतलाम और सैलाना राज्य के अनेकों निहत्थे निर्दोष भील स्त्री-पुरुषों पर झाबुआ कौंसिल के पुलिस और कस्टम के नौकरों ने इन्दौर

राज्य की हद में बामनिया में रात के समय आक्रमण कर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई थीं और युवा स्त्रियों पर बलात्कार किया था। उस अवसर पर इस मामले में रतलाम राज्य के अधिकारियों ने अपनी जनता की रक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया; बल्कि ऐसा निन्दनीय रुख अखत्यार किया कि घायलों की सहायता भी नहीं हो सकी। राज्यने जनता को केवल पशु समझ रक्खा है।

शिक्षा-विभाग की अव्यवस्था इतनी बढ़ी हुई है कि सन् ३८ में नाममात्र के १७ लड़के ६० लड़कों में से परिक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे। देहातों में तो शिक्षा का अत्यन्त दुःखजनक अभाव है। राज्य के अस्पतालों के मुकाबले ईसाइयों के अस्पताल और अन्य खानगी दवाखाने अधिक प्रसिद्ध हैं। इससे इनकी अवस्था और व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है।

५. पहाड़ी बञ्जड़ जमीन

राज्य की कोई ५४ प्रतिशत जमीन अर्थात् ४१६६६६ बीघा जमीन खालसा की है। इस ज़मीन में १८२३८० बीघा जमीन में खेती होती है। शेष

जमीन या तो पहाड़ी बंजड़ या अनुपजाऊ है। इस खेती की जमीन में भी केवल ४१०६ बीघा जमीन में आबपाशी से खेती होती है। जमीन पर राज्य की मालिकी है। किसान को मालिकी हक नहीं है। उसे किसी भी समय राज्य निकाल सकता है। जमीन का लगान ८ से १४ रुपये और ४ से ५ रुपये बीघा तक है। लगान के अतिरिक्त अन्य टेक्सों का और बेगार का असह्य भार किसानों पर रहता है। जंगल से बेगार में लकड़ी लाने आदि के कार्य उनको करने पड़ते हैं। गाड़ी बैल घर के न हों, तो किराये के लाने पड़ते हैं। इसलिए कई दिन खर्च करने पर नाममात्र के बारह आने या एक रुपया दिया जाता है। राज्य के पुलिस तथा रेवन्यु के नौकर इनसे जो बेगार एवं खुराक आदि लेते हैं, यह तो अत्यन्त ही घातक होती है। देहात से माल बेचने को लाने पर या देहात को बीज आदि ले जाने पर प्रति गाड़ी बारह आने टैक्स लिया जाता है। इसके अतिरिक्त माल की बिक्री पर प्रति गाड़ी पर व्यापारी और सरकार अपना टेक्स वसूल करते हैं। किसानों की दरिद्रता और अज्ञानता से सब पूरा लाभ उठाते हैं।

६. भीलों का धर्म परिवर्तन

राज्य की ऐसी नीति से भील किसानों में इतनी दरिद्रता और अज्ञानता फैली हुई है कि ईसाई मिशनरी रतलाम में और आसपास अपना मज़बूत अड्डा जमाए बैठे हैं। भील दरिद्रता के कारण अपना धर्म और सन्तानों तक को ईसाइयों के चरणों में धर देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अकाल की स्थिति में हजारों भील ईसाई बना लिए गये थे। उस समय भी राज्य ने कोई सहायता नहीं की थी।

७. जागीरी जनता

राज्य की ४६ प्रतिशत ४२४३५६ बीघा जमीन जागीरों में है। जागीरदार २६१०५४ रुपया लगान का वसूल करते हैं और ४४१६७ रुपया राज्य को टांके में देते हैं। जागीरी जनता का हाल रियासत की जनता से भी गया बीता है। जागीरी अत्याचारों से जनता कंगाल और बेहाल हो गई है। जागीरदार खुद मुख्तार तानाशाह हैं और अत्याचार करने में बड़ी निर्दयता का परिचय देते हैं। ३१ जागीरों में से कई जागीरों पर कुशासन और

अव्यवस्था के कारण राज्य की निगरानी समय-समय पर चलती रहती है। इतना होने पर भी जागीरदारों को दीवानी और फौजदारी मामलों को सुनने के अधिकार हैं। इन अधिकारों और स्वेच्छाचारिता के बल पर वे सब प्रकार के मनमाने अत्याचार जनता पर करते रहते हैं।

८. धनवसूली के नए तरीक़े

लगान आदि के अतिरिक्त गांवों में तड़वियों (गांव के मुखिया) आदि से मनमाना रुपया वसूल किया जाता है। जो अच्छी रकम दे देता है, उसे (गांव का मुखिया) तड़वी बना देते हैं। वास्तविक अधिकारी न्याय की मांग करता है, तो उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया जाता है और यदि वह मुँहमांगी रकम दे देता है, तो उसे तड़वी बना देते हैं और दूसरा आदमी रोता रहता है।

९. मिल-मजदूरों की दुर्दशा

रतलाम में सूती कपड़े की एक मिल है। इसका नाम सज्जन मिल है। तीन हजारमजदूर दिन-रात में काम करते हैं। मिल-मालिकों को जितना

रक्षण राज्य देता है, उतना मजदूरों को नहीं। मजदूरों की दशा बड़ी दयाजनक है। उनको आज तक भी युनियन नहीं बनाने दी गई। उनके संगठन करने वालों को या तो निर्वासित किया गया या निर्वासन आज्ञा न मानने पर मुकदमे चला कर जेलों में डाल दिया गया।

राज्य में मजदूरों सम्बन्धी कोई कानून नहीं है। काम १० घन्टे से अधिक लिया जाता है। वेतन इन्दौर, उज्जैन, बम्बई, अहमदाबाद के मुकाबले बहुत कम दिया जाता है। छोटी अवस्था के लड़के भी रक्खे जाते हैं। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ आदि की आवश्यक व्यवस्था भी नहीं है।

१०. सत्ता का दुरुपयोग

सत्ता के दुरुपयोग के अनेकों उदाहरण पिछले वर्षों में देखने को मिले हैं। विना वारण्ट के तलाशी, गिरफ्तारी, नजरबन्दी, मकान से निकाल कर गिरफ्तारी, मनमाने तरीके पर बारबार तलाशियां, स्त्रियों को मकान से निकाल कर ताले लगा देना आदि तो अधिकारियों के लिये साधारण बातें हैं। इनके अनेकों उदाहरण हैं।

शहरी आजादी का सर्वथा अभाव है। बाहर का कोई भी व्यक्ति रतलाम में भाषण नहीं दे सकता। पिछले चार वर्षों से तो युद्ध के नाम पर सब सभाएं बन्द कर रक्खी हैं। रतलाम के नागरिकों द्वारा बुलाई गई कई सभायें भाड़े के गुण्डों द्वारा भंग करवाई गई हैं।

जेल-विभाग में पूरी मनमानी चलती है। कई मौकों पर विना वारण्ट के लोगों को जेल में रक्खे जाने की भी घटनाएं हुई हैं। जेल में मध्यकालीन खोड़े आदि की प्रथाएं चालू हैं। जेल का कोई कानून नहीं है। राजनैतिक और साधारण कैदियों में कोई भेद नहीं समझा जाता। जेल के बर्बरतापूर्ण व्यवहार की अनेकों संगीन घटनाएं हैं। एक मौके पर तो जेल से रात के समय एक युवा कन्या को जो जेल में बन्द थी, ले जाने को महाराजा के कृपा-पात्र अफसर ने जेल पर आदमी भेजे थे। जेलर ने इस कृत्य का विरोध किया, तो दूसरे दिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया।

११. अधिकारियों का क्रूर हास्य

ऐसी दकियानूसी स्वेच्छाचारी शासन-प्रथा के होने पर भी राज्य के उस समय के दीवान द्वारा शासन

की रिपोर्ट में जनता के साथ जैसी गैरजिम्मेवारी से क्रूर हास्य किया गया है, वह तो और भी चौंका देने वाला है। वे कहते हैं कि "इस स्थिति में अच्छी कोटी के लोग, जो महाराजा के व्यक्तिगत शासन में अपनी सलामती समझते हैं और गरीब भील (किसान) जो महाराजा के उदार शासन में आसानी से जीविका उपार्जित कर लेते हैं, इस शासन-व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। कुछ गिनती के लोग ही हैं, जो ऊपर के वर्ग और किसानों में कुछ राजनैतिक प्रचार करना चाहते हैं; पर अभी तक वे सफल नहीं हुए। राजनीतिक दलवन्दी के आधार पर प्रजातंत्रीय शासन रियासतों के लिए ठीक नहीं है। महाराजा ईश्वरीय-शासन में विश्वास करने वाले हैं और जनता को उसकी जन्मजात स्थिति, स्वभाव और जिस स्थिति योग्य वह है, उसके अनुसार सुधार देने को सदा तैयार हैं। जनता इस प्रगति से सन्तोष करेगी।"

१२. जानमाल अरक्षित

एक ओर जहां दीवान जैसे व्यक्ति जनता के साथ ऐसा क्रर हास्य करते हैं, वहां दूसरी ओर उसी

'ईश्वरीय-शासन' में विश्वास रखने वाले महाराजा के शासन में पुलिस की मनमानी और गुण्डों के आतंक की कहानियां घर-घर में सुनने को मिलती हैं। कानून व्यवस्था और शहरी आजादी का रियासतों में प्रायः अभाव रहता है; किन्तु रतलाम में तो अपहरण और जनता से भारी रकमें वसूल करने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। यह स्थिति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि १६३२ में उस समय के पोलिटिकल एजेण्ट को इन्दौर से आकर जांच करनी पड़ी थी। यही क्यों, १६३५ में शैतानमल और कंचन के मामले ने अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त किया था और कंचन के साथ जो घटनाएं हुईं; उनमें तथा अन्य सम्बन्धित बातों में खुले रूप में इन हलचलों तथा रतलाम के कुशासन की जड़ में बैठे हुए शिवाहजूरी (मेजर शिवजी) के विरुद्ध खुली शिकायतें हुई थीं और देशव्यापी विरोध तथा मध्यभारत देशी राज्य लोक परिषद आदि संस्थाओं के द्वारा पुस्तक तथा पेम्फलेटों द्वारा शिवजी की लीलाओं पर प्रकाश डाला गया था। परिणामस्वरूप पोलिटिकल एजेण्ट ने जब फिर हस्तक्षेप किया था, तब कंचन की इज्जत की रक्षा होकर शैतानमल निर्दोष छूट सके थे।

१३. मेजर शिवजी कौन है ?

यह मेजर शिवजी एक हजूरी है। जिस प्रकार भरतपुर के महाराजा के सर्वनाश का कारण राजा किशन बना था, उसी प्रकार रतलाम राज्य, प्रजा और महाराजा की वर्तमान दुर्दशा का कारण यह शिवा हजूरी है; जिसने महाराजा की कमजोरियों और सत्ता की स्वच्छंदता से मनमाना लाभ उठाया है। यह शिवा महाराजा का सच्चा खिदमतगार है। शिवा की खिदमत और सेवाओं का वर्णन महाराजा के शब्दों में ही जान लेना ठीक होगा वह खिदमत और सेवाएं इस हजूरी की कौनसी हैं कि जिनसे प्रसन्न होकर महाराजा ने उसे जागीर दी और सर्व-सर्वा बनने का उसे मौका मिला, वह नीचे दी गई सनद से जाहिर होता है :—

"सिद्ध श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री १०८ श्री. श्री. करनल सर सज्जनसिंहजी बहादुर के. सी. एस. आई., के. सी. वी. ओ., ए. डी. सी. टू हिज़ रायल हायनेस दी प्रिन्स आफ वेल्स वंचनात केपटन शिवजी पीथूजी ए. डी. सी. व अफसर खासगी। तुम शुरू से मावदौलत हमराह रहे और अपने

जिम्मे की खिदमत बहुत नेकनियती व वफादारी के साथ करते हो और १६१६ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की लड़ाई में तुमने माबदौलत (हमारी) के हमराह रहकर अपनी खिदमत बहुत खूबी व महनत के साथ अंजाम दी, जिससे माबदौलत बहुत खुश हैं। महाराज कुंवर लोकेन्द्रसिंहजी के जन्म की खुशी में तुम्हारी खिदमत बहुत मुस्तेदी व निहायत खूबी की रही। इन सब खिदमात की तरफ ख्याल फरमाकर माबदौलत बहुत खुश होकर तुमको बसीगे बख्शिश मौजा गजोडा वंशपरम्परा के लिए अता फ़रमाते हैं। सो यह गांव मजकूर वंशपरम्परा पलता रहेगा। यह गांव तुमको अच्छी खिदमत व खैरख्वाही करने के एवज में बख्शश देने में आया है। इसलिए गांव के बदले की कुल खिदमत व टांका वंशपरम्परा के लिए माफ किया जाता है। रियासती हकूक मसलन सायर, अख्त्यारात फौजदारी, दीवानी, पुलिस, स्टांप, कोर्टफी, खदान, जंगलात, माल, लावारिस, दफीना व आबकारी वगैरह सब सरकार के हैं। जो जमीन इस गांव में धर्मादा व चाकराना पहले से दी गई हो, वो पट्टे बाहिर हैं। हुक्म हजूर पाये तख्त रतलाम मारफत दीवानजी रायबहादुर पं० ब्रजमोहन

नाथजी जुत्सी ओ. बी. ई., बी. ए. एल. एल. बी. मी. आसाढ़ सुदी १२ मंगलवार सम्वत् १६८४ ता० ३ माह जुलाई सन् २६ ई० बकलम पंचोली बसंतीलाल।

ऊपर की सनद से स्पष्ट है कि महाराजा की व्यक्तिगत खिदमत और महाराजकुमार के जन्म की खुशी में शिवजी की खिदमत बहुत मुस्तैदी और निहायत खूबी की रहने के सिलसिले में निजी कारणों से यह जागीर दी गई है। राज्य या जनता की भलाई से इसका कोई सम्बन्ध न होने से यह जागीर अनावश्यक रूप से दी गई है। पिछले बीस वर्षों का इतिहास बताता है कि महाराजा शिवजी के बिना रह ही नहीं सकते। इसी से रतलाम के बैण्ड में दो ढाई रुपये महीने पर बन्सी बजाने वाला हजूरी आज मेजर शिवजी के नाम से इस प्रकार रतलाम का बेताज का बादशाह बन बैठा है।

१४. राष्ट्रीय जागृति का दमन

राष्ट्रीय आन्दोलनों और राजनैतिक जागृति को प्रारम्भ से ही निर्दयतापूर्वक रतलाम में कुचला जाता रहा है। १६३० में भगतसिंह दिवस पर रतलाम की राष्ट्रीय सेविका श्रीमती काशीदेवी पांचाल आदि को

हण्टरों आदि से पिटवाने की काली कहानियां आज भी जनता की याद को ताज़ा करती रहती हैं। इस प्रकार के पाशविक दमन को भी रतलाम की जनता ने बरदाश्त किया है और समय समय पर राष्ट्रीयता का शक्ति भर पोषण किया है।

१५. प्रजामंडल का संगठन

हरिपुरा कांग्रेस के रियासती प्रस्ताव के बाद रतलाम के कार्यकर्ताओं ने २६ मार्च १६३८ को एक सभा करके एक समिति बनाकर प्रजामण्डल का कार्य प्रारम्भ किया। १० नवम्बर को प्रजामण्डल के सदस्यों की एक सभा बुलाकर 'कार्यसमिति' और साधारण समिति का चुनाव किया गया। उसका विधान स्वीकार किया गया और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष के अन्त तक ५८६ सदस्य प्रजामण्डल के बनाये गए।

१६. प्रजामण्डल की मांगें

जनवरी १६३६ में प्रजामण्डल ने जनता द्वारा समर्थन प्राप्त कर महाराजा के सामने जो आठ मांगें रक्खी थीं, वे संक्षेप में इस प्रकार थीं:—

१. जनता द्वारा चुनी हुई उत्तरदायी धारासभा स्थापित की जाय और कौंसिल के सदस्य भी उसमें से चुने जावें।

२. म्युनिसिपैलिटी की पुनर्व्यवस्था, चुनाव पद्धति के आधार पर की जाय।

३. प्राथमिक शिक्षा राज्यव्यापी अनिवार्य की जाय।

४. औषधोपचार तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार किया जावे और स्वास्थ विभाग खोला जाय।

५. जमीन के लगान की व्यवस्था ब्रिटिश भारत की भांति की जावे। किसानों को माल के हक दिये जावें और कोआपरेटिव संस्थाएं कायम की जावें।

६. बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य के लोगों को राज्य की नौकरी में लगाया जावे और कला तथा उद्योग की शिक्षा दी जावे।

७. जनता द्वारा चुने हुए पंचायत बोर्ड कायम किये जायं।

८. प्रजामण्डल द्वारा की जाने वाली शिकायतें और जनता की तकलीफों को राज्याधिकारी सुनें व दूर करें।

प्रजामण्डल ने शांत, वैधानिक और उचित तरीके से महाराजा रतलाम की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने का आन्दोलन प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे जनता ने प्रजामण्डल को अपनाया और १६३६ में मजदूरों व किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। फरवरी १६३६ में लुधियाना में पं० जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में हुये देशीराज्य लोक-परिषद् के और मई १६३६ में दोहद में आचार्य नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में हुये मध्य भारत देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशनों में प्रजामण्डल के कार्यकर्ता शरीक हुए। दोहद अधिवेशन में रतलाम की स्थिति पर चर्चा हुई। अनेकों मजदूर कार्यकर्ता प्रजामण्डल में शरीक हुये। १३ जून १६३६ को किसानों का एक जलूस उनकी मांगों को महाराजा के सामने रखने के लिए निकालने की योजना की गई। अधिकारियों ने जलूस रोक दिया और श्री सौभाग्यमल जी दलाल को गिरफ्तार कर तीन महीने की सजा दे दी गई। पुलिस और राज्य के अधिकारी जनता को प्रजामण्डल से दूर रहने को आतङ्कित करने लगी। सब प्रकार से प्रजामंडल को कमजोर करने की योजना अमल में लाई गई। गुण्डों द्वारा

जून १६३६ में मानिक चौक में श्री जुग्गनखां को पिटवाया गया। जब जुग्गनखां आदि का मुकदमा सुनकर कुछ कार्यकर्ता अदालत से बाहर आरहे थे, तब अदालत के अहाते में गुण्डों द्वारा उन पर भी हमला किया गया और उनके सिर फोड़ दिये गये। मजदूर कार्यकर्ता जुग्गनखां को निर्वासित किया गया। निर्वासन की आज्ञा न मानने पर छः मास की सजा दी गई। प्रजामण्डल को हिन्दू मुसलमान सभी का सहयोग मिलने लगा। इस जागृति की लहर को राज्य ने दमन से कुचलना आरम्भ कर दिया। डा० देवीसिंहजी सभापति, श्री चांदमलजी मेहता मंत्री, श्री बिहारीलालजी व्यास, श्री गफूरखां, श्री सौभाग्यमलजी दलाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रजामण्डल की शान में बट्टा न लगने दिया।

१७. षडयन्त्र का मुक़दमा

गिरफ्तारी, निर्वासन, सजा, गुण्डों द्वारा पिटवाने और धमकाने पर भी जब कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह कम न हुआ, तब षडयन्त्र का एक मुकदमा चलाने की योजना की गई और प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को उसमें फंसा कर जेल में डाल दिया गया।

मजदूर कार्यकर्ता श्री जुग्गनखां सजा पूरी होने पर भी नहीं छोड़े गये और उन्हें भी इस षडयंत्र के मुकदमे में फांस दिया गया।

२८ जनवरी १९४० को पुलिस ने मास्टर बद्रीप्रसाद की दूकान की तलाशी लेकर किताबें और अखबार जप्त कर लिये। श्री बद्रीप्रसाद को और दूकान पर बैठे हुए दो व्यक्ति श्री छुन्नूखां और श्री बोन्दर को बिना वारण्ट पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। उस दिन और बाद में कई बार श्री बद्रीप्रसाद के मकान की तलाशी ली गई और एक दिन रात में मकान की तलाशी लेकर श्री बद्रीप्रसाद के घर की स्त्रियों को मकान के बाहर निकाल कर ताला लगा दिया गया। २९ जनवरी १९४० को प्रजामंडल के प्रधानमन्त्री श्री चांदमल मेहता वकील के मकान की तलाशी ली गई। प्रजामण्डल के कागजों का एक सन्दूक भी पुलिस उठाकर ले गई। चांदमलजी को भी साथ ले जाकर पुलिस ने हवालात में रख दिया। रात को फिर श्री चांदमलजी के मकान की तलाशी ली गई। इसी प्रकार इस दिन कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और डा० देवीसिंहजी सभापति प्रजामण्डल के अस्पताल की तलाशी ली गई। ३० जनवरी को

प्रजामण्डल के सन्दूक को सभापति के सामने खोल कर सब कागज जप्त कर लिये गये और सन्दूक डा० देवीसिंहजी को लौटा दिया। ३१ जनवरी को रतलाम में समाचार मिले कि अहमदाबाद में बसन्त नामक युवक को रतलाम रियासत की मांग पर गिरफ्तार किया गया है। इसी तारीख को रतलाम में कई और तलाशियां ली गईं और तीन आदमी गिरफ्तार किये गये। पुलिस कोतवाली में इन लोगों के साथ मारपीट की गई और बाद में दो को छोड़ दिया और एक श्री छोगालाल को हवालात में बन्द कर दिया।

गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को कई दिनों तक पुलिस हवालात में रखा गया। और चालान आदि की नक़लें भी मांगने पर उन्हें नहीं दी।

फरवरी १९४० में प्रजामण्डल के सभापति डाक्टर देवीसिंहजी, प्रचार मंत्री श्री बिहारीलालजी व्यास, श्री सौभाग्यमलजी दलाल, मध्यभारत देशी राज्य लोक परिषद के प्रान्तीय मंत्री श्री कन्हैयालाल वैद्य के साथ एक शिष्टमण्डल पं० जवाहरलालजी नेहरू और परिषद की स्थाई समिति से रतलाम के दमन की जानकारी देने के लिए मिला। और बम्बई

से लौटकर जब ४ मार्च को प्रचारमंत्री श्री बिहारीलालजी व्यास प्रजामण्डल की एक सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे थे, तब उन्हें भी भाषण देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके मकान की तलाशी ली। १२ मार्च को जब प्रजामण्डल के सभापति डा० देवीसिंहजी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के लिये वकील आदि की व्यवस्था कर उज्जैन से रात को लौटे कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन प्रजामण्डल की ओर से एक विराट सार्वजनिक सभा विरोध में हुई। १४ मार्च को सब अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया और २८ मार्च की तारीख लगी। २८ मार्च को १० अप्रैल की तारीख लगा दी गई।

१८. २८ मार्च का काला दिन

२८ मार्च ४० को भारी संख्या में जनता प्रजामंडल के नेताओं का मुक़दमा सुनने अदालत में पहुँची। उन्हें कहा गया कि मुक़दमा १ बजे चलेगा। तारीख बढ़ने पर वे एक जलूस के रूप में महाराजा के सामने यह प्रार्थना करने को जाने के लिये रवाना हुए कि मुक़दमा जल्दी चलाया जावे। जब यह

जलूस चोमुखी पुल के यहां पहुँचा पुलिस ने इसे घेर लिया, राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया और नौ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये। लोगों को पुलिस ने बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया। विद्यार्थियों आदि का दूसरा जलूस थोड़ी देरी में फिर निकला। उसे भी दो बार पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। उनके भी झण्डे छीन लिए गये। सात आदमी गिरफ्तार किये गए। ज्युडीशियल मिनिस्टर सक्सेना ने स्वयं एक लड़के को मौके पर पीटा। तीसरी बार फिर जलूस निकाला गया। इस बार वह जलूस महाराजा तक पहुँचा। महाराजा के दोस्तों ने कुछ जबानी वचन दिये और परिणामस्वरूप शाम को सब गिरफ्तार व्यक्ति छोड़ दिए गये और झण्डे लौटा दिए गये। उसी शाम को शहर में यह समाचार भी फैले कि राजनैतिक बन्दियों को जेल में पीटा और घसीटा गया है। चारों ओर से हजारों की संख्या में लोग जेल पर इकट्ठे हो गए। डाक्टर देवीसिंहजी के भाई श्री जगन्नाथजी ने जेलर से यह देखने को कि डाक्टर आदि ठीक हैं, पांच मिनट के लिए अपने भाई से मिलने की आज्ञा मांगी। जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ने टेलीफोन

पर इजाजत लेकर मिलने की बात कही। टेलीफोन पर डाक्टर ने अधिकारियों से मिलने की मन्जूरी मांगने के बजाय यह कहा कि जेल पर लोग इकट्ठे हो गये हैं और मेरी जिन्दगी खतरे में है। इस सूचना पर तुरन्त ही ज्युडीशियल मेम्बर और कौंसिल का एक दूसरा मेम्बर जेल पर आ गए। पुलिस और मिलिट्री भी बुलाई गई। ज्युडीशियल मिनिस्टर ने लोगों को दस मिनट में हट जाने को कहा। लोगों ने महाराजा के महल की तरफ, जोकि पास ही था, जाने का निर्णय किया। महाराजा के महल को जेल से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ते से पुलिस ने उन्हें पीछे हटा दिया। दूसरे रास्ते से वे महल के दरवाजे के पास पहुँचे और महाराजा की जय के नारे लगाने लगे। नारे लगते ही एकाएक महल तथा सड़क की बत्तियां बुझा दी गई। सामने से महल से रणजीत पल्टन ने, पीछे से आई हुई पुलिस ने बाजू से और महल के बाहर रिसाले वालों ने सीधी बाजू से शान्त, निहत्थी और निर्दोष जनता पर हमला बोल दिया। लोग भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। पेट्रोमैक्स बत्ती टूट-फूट गई। कांग्रेस का झण्डा

भी जला दिया गया । थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। केवल जख्मी लोग पड़े रह गये। कुछ को पुलिस उठा ले गई और कुछ को जनता उठा ले गई। उसी रात को श्री देवीचन्दजी, श्री जगन्नाथजी श्री शंकरसिंह, श्री जमनालाल व्यास और श्री गुलाबचन्द अग्रवाल को बिना वारण्ट झूठे बहानों से मकानों से बाहर बुला कर गिरफ्तार कर बाहर दूर जंगलों में नजरबन्द रखने को भिजवा दिया और वहां कई महीनों तक नजरबन्द रखने के बाद छोड़ा गया।

१६. जनता का विरोध

विरोध में २६ मार्च को जनता ने शहर में पूरी हड़ताल रक्खी। अधिकारियों के प्रयत्न करने पर भी दुकानें नहीं खुलीं। सभाओं और जलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये और गिरफ्तार व्यक्तियों को भारत रक्षा कानून में नजरबन्द घोषित कर दिया गया। ३० मार्च को प्रतिष्ठित नागरिकों के प्रतिनिधि-मण्डल ने दीवान से मांग की कि गिरफ्तार व्यक्ति छोड़ दिये जावें, जेल के बन्दियों से मुलाकात करने दी जावे और २८ तारीख की घटनाओं की जांच की जावे। दीवान ने आश्वासन दिये, किन्तु कोई भी मांग पूरी नहीं की गई।

२०. घटनाओं की जांच

इस दमन की जानकारी आचार्य नरेन्द्रदेवजी को और पं० जवाहरलालजी नेहरू को तार से दी गई। उन्होंने परिषद् के प्रधान-मन्त्री और अपने प्रतिनिधि को भेजकर जांच करवाई। जेल में जो भोजन दिया जाता था, वह संतोषजनक नहीं था। अतएव कई राजबंदियों ने भूख हड़ताल कर रक्खी थी। २८ मार्च को उन्हें अन्दर के गंदे कमरों में जाने को कहा गया था। जब वे वहां नहीं गये, तो उन्हें घसीट कर उनमें डाला गया।

२१. षडयंत्र के बन्दियों का बचाव

इस जांच के विवरण पर मध्यभारत देशी राज्य लोक-परिषद की कार्यकारिणी समिति ने आचार्य नरेन्द्रदेवजी की अध्यक्षता में चर्चा की और बन्दियों के रक्षण तथा प्रचार आदि के लिए रतलाम राजनीतिक बन्दी रक्षण समिति कायम कर उसके संयोजक परिषद के प्रधानमंत्री श्री कन्हैयलाल वैद्य नियुक्त किये गये। अ० भा० देशी-राज्य लोक-परिषद की ओर से पं० जवाहरलालजी नेहरू के आदेश पर जांच की यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

रक्षण समिति ने धन संग्रह के लिए अपील निकाली। उसका समर्थन स्वयं पं० जवाहरलालजी नेहरू ने किया। रक्षण समिति ने मुकदमे की पैरवी के लिए उज्जैन के श्री गोविन्दराव जी हिरवे वकील की मुफ्त में सेवा प्राप्त करली थी; किन्तु रतलाम के अधिकारियों ने कानूनी पैरवी में भी अडंगे डालना प्रारम्भ किया। रक्षण समिति के कार्य और पैरवी को असम्भव बनाने के लिए रक्षण समिति के सदस्यों के नाम, जिनमें श्री गोविन्दराव हिरवे भी थे, तोहीन अदालत के मुकदमे चलाने के नोटिस जारी कर दिये। परिणाम यह हुआ कि श्री. हिरवे ऐसी अंधा-धुंधी में रतलाम नहीं आ सके। इसलिए रक्षण-समिति को पैसे खर्च करके पैरवी का प्रबन्ध करना पड़ा। मुकदमे में निरन्तर बाधायें पहुंचाई गई और परिणामस्वरूप १५ दिन बाद ही श्री एम. आर. मसानी विरोध में पैरवी से हट गये। रतलाम का कोई वकील आतङ्क के कारण पैरवी करने को तैयार न होता था। परिणाम यह हुआ कि नौ महीने तक मुकदमा नीचे की दोनों अदालतों में बिना वकील के चलता रहा। राज्य ने इतने से ही सन्तोष नहीं माना। रक्षण-समिति के संयोजक श्री कन्हैयालाल वैद्य के नाम

महाराजा के दस्तखत से एक आज्ञा जारी करके राज्य से युद्धकाल तक के लिए उनका निर्वासन कर रतलाम आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मुकदमे की सुनवाई खुली आदालत में न होकर जेल पर ही होती रही। मुकदमा सुनने की भी सर्वसाधारण को सुविधा नहीं दी गई।

२२. सरकारी प्रचार

एक ओर इस प्रकार सरकार की ओर से बन्दियों को अपना बचाव और कानूनी पैरवी करने की भी सुविधा नहीं दी गई और दूसरी ओर सरकारी प्रकाशन अफसर ने मुकदमा चलते हुए भी इन वंदियों के विरुद्ध अनर्गल, मिथ्या और झूठ विज्ञप्तियां प्रकाशित कर खुले रूप में अदालत की तोहीन करना प्रारम्भ कर दिया, किंतु अदालत ने इस ओर ज़रा भी ध्यान न दिया। एक विज्ञप्ति में तो श्री चांदमल मेहता वकील के बारे में यहां तक झूठ लिखा गया था कि उन्होंने झाबुआ में राज द्रोह का कार्य किया था, जिसके लिये उनकी सनद छीनी जा चुकी है। ये सब बातें सर्वथा मिथ्या थीं रतलाम की जनता का सब प्रकार से मुंह बंद कर

तलाम में श्मशान-शांति कायम कर, हुकूमत जायज ानूनी अधिकारों और सुविधाओं से बंदियों को ञ्चित कर, प्रजामंडल और रतलाम की राजनैतिक लचलों को खतम करने के लिए नीचता पर तारू थी।

२३. जेल में पशुतापूर्ण व्यवहार

जेल में बंदियों के साथ राजबंदियों के समान यवहार नहीं किया गया और कुछ भी सुविधायें हीं दी गई। परिणामस्वरूप उन्हें विरोध में कई ार भूख हड़ताल भी करनी पड़ी। श्री छुन्नूखां पर ो इसके लिये मुकदमा चला और उन्हें लम्बी सजा ी दी गई। सजा देने के बाद तो इनके साथ बहुत ही नेन्दनीय व्यवहार किया गया।

२४. दो नौजवानों की शहादत

रतलाम जेल के पाशविक और मनुष्यताहीन दुर्व्यवहार के कारण दो होनहार युवक श्री बिहारी-ालजी व्यास और श्री गफूरखां शहीद हो गये। भाई ाफूरखां रतलाम प्रजामंडल के एक नवयुवक और ोनहार कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जनता की सेवा के

लिये अपने विवाह से भी इंकार कर सभाबंदी प
लगी हुई बन्दिश को चौवीस घण्टे में तोड़ने व
सूचना देकर रतलाम की हुकूमत को ललकार
था। परिणाम स्वभाविक था। वे गिरफ्तार किये गये
उन पर मुकदमा चलाया गया। लम्बी सजा दी गई
जेल में सजा होने के बाद सख्त व्यवहार किय
गया। जेल में वे बीमार हो गए। असह्य गर्म
में भी उन्हें जेल की टीन की कोठरी में बन्द रक्ख
गया। उपचार की व्यवस्था नहीं की गई। खाने-पी
की भी सुविधा नहीं की गई। परिणाम यह हुआ वि
वह भयङ्कर बीमारी के चंगुल में फंस गए। असाध
अवस्था में जेल से छोड़ने के बाद भी उनको राज
से निर्वासित कर गंभीर हालत में स्टेशन से पिता
साथ उज्जैन भेजा गया। वहां आकर उपचार व
व्यवस्था होने पर भी वे बच नहीं सके और कुछ ह
दिनों में इस असार संसार को छोड़ गये।

२५. भारी सज़ाएं

१८ महीने तक जेल की चाहर दिवारियों
वंद रखने के बाद षडयंत्र केस के मुकदमे
तमाम वंदियों को १८ अगस्त ४६४१ को र

वर्ष से आठ वर्ष तक की सख्त सजाएं और भारी जुर्माने भिन्न-भिन्न जुर्मों में कर दिये गये। सजा होते ही बर्बरता का परिचय दिया गया। बेड़ियां डाल दीगईं। पहनने को जेल का कुरता, निकर और टोपी दी गई। खाने को भी मामूली भोजन मिलने लगा। आठ दिन में कपड़े धोने पर लंगोटी लगाकर कपड़े सूखने तक सब नंगे बैठे रहते थे। रतलाम में कॉलेरा शुरू होते ही तमाम क़ैदियों के टीका लगाने की मांग की गई, पर वह टीका तबतक नहीं लगाया जब तक कि उनमें से एक श्री बिहारीलालजी व्यास शहीद नहीं होगये। २८ अगस्त को श्री व्यास से टट्टी के पास की सफाई दोपहर की कड़ी धूप में करवाई गई। उसी दिन शाम को वे भयङ्कर बीमार हो गए। सजा के समय इस युवक का वज़न १५२ पौंड था। श्री व्यास के बीमार होने पर भी बेपरवाही की गई। न तो समय पर उपचार किया गया और न कोई सुविधा ही दी गई। जब हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई, तब अस्पताल भेजा गया। बेड़ियां तब तक बराबर पड़ी रहीं, जब तक पैर में जख्म होकर मांस न कट गया। यही नहीं जब तक वह होश में रहे, उनके हाथों में इस भयङ्कर हालात में भी हथकड़ी और

जञ्जीर पड़ी रही। अस्पताल में भी सिपाही को हिदा-यत थी कि जब होश में आवें फौरन हथकड़ी और जंजीर डाल दी जाय। ऐसी भयंकर हालत में भी श्री व्यास के भाई और माता को उनके पास नहीं रहने दिया गया और पूछने पर राज्य का दीवान यही कहता रहा कि वह अच्छी हालत में हैं। अधि-कारियों की हृदयहीन नीचप्रवृत्ति तो उस समय प्रगट हुई, जब ऐसी भयंकर बीमारी में मां अपने बेटे को देखने के लिए जेल पर गई, तो जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उस वीर माता के दूसरे पुत्र से कहा कि "तुम्हारी मां ने ऐसा बेटा जना— उसको बोलो कि मिलने के बजाय पहले ही रो ले और पत्थर से छाती कूट ले।" मां और बेटा (श्री जमनालाल व्यास) भिखा-रियों की तरह अधिकारियों के दरवाजों और जेल तथा अस्पताल पर धक्के और ठोकरें खाते हुए अप-मानित होते रहे; किन्तु सुनवाई नहीं हुई। महाराज को तार दिये, पर महाराजा के दिल पर भी कोई असर नहीं हुआ। श्री जमनालाल व्यास ने अधिका-रियों से कहा कि इन्दौर से डाक्टर मुकर्जी को हमारे खर्च पर बुलाइये और उपचार करवाइये। पर उस प्रार्थना को भी ठुकरा दिया गया और हृदयहीन

मनोवृत्ति से सारा काम चलता रहा। परिणामस्वरूप यह युवक भी जेल और रतलाम शासन की बलिवेदी पर शहीद हो गया।

२६. मध्यभारत में हलचल

रतलाम की इन घटनाओं से मध्यभारत में और देश के कोने कोने में हलचल मच गई। लम्बी और भारी सजाओं के विरुद्ध जहां देशव्यापी विरोध हो रहा था, वहां इस शहादत ने उस विरोध की अग्नि में घी डाल दिया। महात्मा गांधी ने भी रतलाम की स्थिति को चिन्ता से सुना। मध्यभारत देशी राज्य लोक परिषद् की कार्यसमिति और रक्षण समिति के सदस्यों ने स्थिति पर विचार किया। रक्षण समिति के संयोजक श्री कन्हैयालालजी वैद्य ने महात्माजी को रतलाम की स्थिति पर ध्यान देने और अपील की पैरवी के लिए कानूनी प्रबन्ध करने का आग्रह किया। महात्माजी ने श्री कन्हैयालाल मुंशी को तैयार किया। अपील दायर कर दी गई। श्री मुंशी बैरिस्टर शेलट के साथ रतलाम आए और इन्दौर के वकील श्री चितले और श्री भानुदासशाह भी आए थे। अंत में महाराजा रतलाम की कन्या के जन्म के उपलक्ष्य में

षडयन्त्र केस के सब बन्दियों को जेल से छोड़ दिया गया। इसके बाद आशा थी कि रतलाम के अधिकारियों और विशेषतः मेजर शिवजी के षडयंत्र बंद होंगे; किंतु वैसा नहीं हुआ। लेकिन, मेजर शिवजी प्रजा-मण्डल के कांटे को अपने रास्ते से उखाड़ने को कमर कसे हुये थे। इसलिए दुर्नीति से काम लेने को वे कमर बांधे रहे।

२७. पोलिटिकल विभाग का विरोध

रतलाम के मेजर शिवजी के दल के लोगों ने केवल दमन से ही काम नहीं लिया, बल्कि भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग ने भी जब जब सुधार करने का यत्न किया, तब उसका भी विरोध किया। कंचन प्रकरण के बाद पोलिटिकल विभाग नें रा० ब० श्री छोटेलाल वर्मा को दीवान नियुक्त किया था। उन्होंने सुधार के यत्न प्रारम्भ किये, तो उनका भी विरोध किया गया और वे भी रतलाम के शासन पर लम्बी रिपोर्ट देकर चले जाने को मजबूर हुये जनता ने उस समय भी मांग की थी कि वैसे व्यक्ति को ही दीवान रक्खा जाये और महाराजा को मेजर शिवजी सहित शासन से अलग कर दिया जाय।

खुर्जा के रा. ब. चिम्मनलालजी दीवान हुए। वे भी सुधार के लिये यत्नशील थे; पर उनकी रतलाम में ही अचानक मृत्यु हो गई। दीवान चिम्मनलाल जी ने मेजर शिवजी के दल की शक्ति को कमजोर करने के लिये क़दम उठाया और सर्व प्रथम कौंसिल के सेक्रेटरी लक्ष्मीनारायन को नौकरी से अलग किया कि इसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्री चिम्मनलालजी ने रामा पोरटर की ४०००) रुपये की चोरी के मामले में दिलचस्पी ली और मेजर शिवजी के दल के जिन अफसरों या नौकरों ने इस मामले में मनमानी, मार-पीट या ज्यादती आदि की थी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाही आरम्भ की थी। उनके बाद सर सिरेमल बापना दीवान हुए। इस मामले में न्याय हुआ। मंगल और जगन्नाथ कोर्ट से रिहा हुए और जिन लोगों ने गैर कानूनी रीति से मारपीट की थी उस लक्ष्मीनारायन कौंसिल सेक्रेटरी, उदयसिंह सब इन्सपेक्टर पुलिस और हेड कानिस्टेबल इब्राहीमखां के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सर सिरेमल बापना ने मंजूरी देदी। एक मजिस्ट्रेट को सर सिरेमल बापना ने नौकरी से अलग कर दिया। वारन्ट निकलने पर लक्ष्मीनारायन और पुलिस सब इन्स-पेक्टर आदि रतलाम से भाग गये। सबइन्सपेक्टर तो इन्दौर में पकड़ा गया। पर लक्ष्मीनारायन कौंसिल सेक्रेटरी अब तक फरार है; उसे गिरफ्तार ही नहीं किया

गया है। इस घटना से सम्बंधित अन्य लोगों के विरुद्ध जांच करने के लिए एक जांच अफसर नियुक्त कर दिया। इस जांच अफसर ने मेजर शिवजी तथा उसके साथी अफसरों के विरुद्ध जांच आरम्भ की, तब उसका भी विरोध मेजर शिवजी के दल ने ज़ोरों से किया। परिणाम स्वरूप सर सिरेमल बापना एका-एक रतलाम की दीवानगिरी से स्तीफा देकर उदयपुर लौट गये। बारह घंटों में उन्होंने रतलाम छोड़ दिया। तीन वर्ष के लिये आये हुए सर सिरेमल बापना के पांच-छः मास में ही वापिस जाने पर चारों ओर हलचल मच गई। कहा जाता है कि उन्होंने रतलाम के कुशासन पर एक लम्बी रिपोर्ट पोलिटिकल विभाग को दी है। पिछले थोड़े ही वर्षों में अनेकों दीवान, पुलिस के अफसर और दूसरे आफिसर जल्दी जल्दी बदले गये हैं। अनेकों अफसरों ने विरोध में त्याग-पत्र दिये हैं। इनका विरोध भी रतलाम के कुशासन पर प्रकाश डालने वाला है।

२८. मुक़दमे का फैसला

इस मामले का फैसला मार्च के अन्त में रतलाम के सेशन जज ने सुना दिया है। पुलिस के सब इन्स-

पेक्टर उदयसिंह और हैड इब्राहीमखां को दफा ३२६ और ३३१ ताजीरात हिन्द में दो दो वर्ष की सख्त सजा दी है। दोनों सजाऐं साथ चलेंगी। जुर्माना भी किया गया है। अभियुक्त उदयसिंह ने अपने बचाव में बताते हैं रतलाम के पुलिस मेम्बर श्री० डी० एम० भट्ट और आर्मी मेम्बर मेजर शिवजी की दो चिट्ठियां पेश की थीं; किन्तु फैसले में इनकी भी चर्चा नहीं की गई। सख्त सजा होने पर भी इनके साथ जेल नियमों के अनुसार अमल नहीं हो रहा। उनको सब सुविधाएं मिली हैं और उन्हें यह भी आश्वासन दिये गये हैं कि वे अपील न करें और उन्हें सजा से पहले ही किसी खुशी के अवसर पर छोड़ दिया जावेगा। इस मामले के सम्बन्ध में जो चर्चा महाराजा को खुली चिट्ठी लिखते हुए श्री कन्हैयालाल वैद्य ने की थी, वे अब फ़ैसला होने से ठीक प्रमाणित हो गई हैं।

इस मुक़दमे के फ़ैसले के बाद ही मि० डी० एम० भट्ट पुलिस मेम्बर राज्य की नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। महाराजा की सिविल लिस्ट नये ढङ्ग से बनाई जा रही है। एक स्पेशल जांच अफसर रतलाम के पुराने हिसाबों की जांच करने के लिए

मुक़र्रिर हो चुका है। शासन में और भी उलट-फेर होने जा रहे हैं।

तीन महीने से सरकारी गज़ट ही नहीं छप रहा है। छः महीने पूर्व दो महीने में म्यूनिसीपल क़ानून का मसविदा बनाने की घोषणा गज़ट में की गई थी। पर छः महीने होने पर भी उस मसविदे का कहीं ठिकाना नहीं है। जो समिति इस कार्य के लिए बनाई गई थी, उसके एक सदस्य श्री भट्ट राज्य की नौकरी से ही रिटायर हो रहे हैं।

२६. न्याय विभाग में सुधार

दीवान श्री चिम्मनलालज़ी ने रतलाम के न्याय-विभाग को प्रबन्ध-विभाग से स्वतन्त्र करने के लिए भारत सरकार की न्याय-विभाग की संयुक्त योजना को अमली जामा पहिनाया और रतलाम में हाई-कोर्ट एक्ट बनाकर न्याय-विभाग को सुधारने का यत्न किया। इस विभाग में भी सर सिरेमल बापना के जाने के बाद राज्याधिकारियों ने हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इसके विरोध में रतलाम के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्रीकृष्ण वर्मा ने जो रिपोर्ट की और त्याग-पत्र दिया, वह सब स्थिति को स्पष्ट

करता है। उस रिपोर्ट के और त्याग-पत्र के महत्व पूर्ण अंश यहां दिये जा रहे हैं।

श्री वर्मा ने अपनी ५ जुलाई १९४३ की रिपोर्ट में लिखा है कि "पहली बात तो यह है कि १९४३ के नए हाईकोर्ट एक्ट के विधान में बताए हुए उचित मार्गों से ही मेरे पास इस प्रकार के पत्र आने चाहिये थे; किन्तु आजकल की परिस्थितियों को जानकर मेरा ख्याल है कि इसमें और समय व्यर्थ बरबाद होगा। इसलिए विरोध के रूप में मैं रतलाम पुलिस कमिश्नर को भेजे हुए अपने विचारों और लिखने का औचित्य भेज रहा हूँ।

"चीफ मिनिस्टर साहब राज्य के बहुत महत्वपूर्ण आफिसर हो सकते हैं और होंगे; किन्तु वह केवल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से "लोकल गवर्नमेण्ट" के "श्री दरबार" कभी नहीं माने जा सकते, जब तक कि ऐसी घोषणा अधिकृत सत्ता द्वारा नहीं की जाती। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ज्योंही वह आर्डर मुझे ज्ञात हुआ, मैंने उसपर अमल किया, हालांकि नए हाईकोर्ट एक्ट के अनुसार जुडीशरी पर निगरानी, निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी सब प्रकार की सत्ता पूर्णतः हाई-

कोर्ट के हाथ में रखी गई है; सिवाय जुडीशियल विभाग के लोगों की नियुक्ति और बरखास्तगी के मामलों के।"

"इन परिस्थितियों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी आदत के अनुसार धमकी के ढङ्ग पर, और मुझे अपने कार्य के औचित्य बताने का अवसर देने के पहले ही, अनुशासनात्मक कार्रवाही करने की बात कही है। इसके लिए सच कहा जाए, तो कोई अवसर ही नहीं है।"

"चूंकि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्रीमान् के उपर्युक्त पत्र से पहले भी मेरे विरुद्ध अपनी प्रवृत्ति प्रकट करने की कृपा की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं उनके क्रोध का अधिक शिकार या निशाना बनूं; यह उचित और वांछनीय नहीं है। इसीलिए मैं श्रीमान् के नाम इस पत्र के साथ अपना त्याग-पत्र भी भेज रहा हूँ, ताकि आप उसे शीघ्र स्वीकृत किये जाने और मुझे राहत दिलाने के लिए आगे फारवर्ड कर देवें।"

इसी दिन ५ जुलाई १९४३ को महाराजा के नाम दिये गए त्यागपत्र के महत्वपूर्ण अंश ये हैं :—

"चूँकि हाल के पास किये हुए सन् १९४३ के एक्ट नं० १ (रतलाम हाईकोर्ट एक्ट जो फरवरी १९४३ से अमल में आचुका है) के जारी कर देने के बाद भी न्यायकार्य में बेजा हस्तक्षेप किया जा रहा है। और चूंकि विशेषतः वर्तमान प्राइम मिनिस्टर टी० जे० राजा का रुख खास करके मेरे प्रति खुले तौर पर विरोधी और धमकीपूर्ण है, इसलिए रतलाम के सिटी मुन्सिफ और सिटी मजिस्ट्रेटी के पद का कार्य और कर्तव्य पूरा करते रहना मेरे लिए अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। इसलिए श्रीमंत के प्रति नम्रतापूर्ण और कर्तव्यपूर्ण सम्मान के सहित सिटी मुन्सिफी और सिटी मजिस्ट्रेटी के पद से त्यागपत्र, १२ जुलाई १९४३ से जब तक कि मैं छुट्टी पर हूँ, उपस्थित करता हूँ।"

नए दीवान श्री राजा मेजर शिवजी के दल का पोषण करने की वजह ही से दीवान के पद पर बैठे हुए हैं। इधर पोलिटीकल विभाग ने मेजर शिवजी को राज्य से निकाल कर उसको दो सौ मील की सीमा से बाहर रखने के लिए महाराजा को मजबूर किया। लक्ष्मीनारायण सेक्रेटरी पहले ही फरार है। ज्युडीशियल मेम्बर सक्सेना भी रतलाम से विदा हो चुके हैं।

३०. उज्जैन में षडयन्त्र

मेजर शिवजी के दल ने पोलिटीकल विभाग की निगाह से बचने और अपने षडयन्त्रों को चालू रखने के लिए उज्जैन को अपना केन्द्र बनाया है। उज्जैन का एक ज्योतिषी पिछले कई वर्षों से महाराजा रतलाम के मुंह लगा हुआ था और जप एवं अनुष्ठान तथा ज्योतिष के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता रहता था। उससे भी उज्जैन में मौक़े बेमौक़े सहायता ली जाने लगी। रतलामी अफसर उज्जैन में चक्कर काटने लगे। महाराजा रतलाम से मोटर लेकर अपने साथी मेजर शिवजी से मिलने और श्री सक्सेना से परामर्श करने के लिये उज्जैन और भोपाल के चक्कर काटने लगे। पोलिटीकल विभाग जो सुधार करना चाहता था, वे भी जब हवा होने लगे, तब रतलाम की जनता और कार्यकर्ताओं ने फिर एक बार मध्यभारतीय देशी राज्य लोक-परिषद के मन्त्री श्री कन्हैयालालजी वैद्य का ध्यान इस ओर खींचा। और उन्होंने १२ नवम्बर १९४४ को इन तमाम के कुचक्रों की ओर महाराजा का ध्यान खींचने के लिए उनके नाम खुली चिट्ठी प्रकाशित की और उनको सलाह दी कि "आप वृद्धावस्था के कारण

राज्य कार्य संभालने में असमर्थ हैं। इसलिये राज्य व्यवस्था छोड़कर रतलाम को शासन की दृष्टि से पास के इलाके में मिला दें और अपने तथा कुटुम्बियों के लिये उचित रकम मुकर्रर कर लें जिससे राज्य की और जनता की उन्नति हो।"

३१. इस सलाह का परिणाम गिरफ्तारी

इस खुली चिट्ठी द्वारा दी गई सलाह का परिणाम श्री वैद्य की गिरफ्तारी हुआ। जो षडयन्त्र महीनों से उज्जैन में चल रहे थे, वे सफल हो गये। तीन दिन बाद ही १६ नवम्बर को उज्जैन के सूबा श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी ने अपने विशेषाधिकारों से काम लेकर, क़ानून-व्यवस्था और परम्परागत नियमों को ताक में रख कर, उज्जैन में श्री कन्हैयालाल वैद्य को रतलाम के वारण्ट पर गिरफ्तार करने की आज्ञा देकर जेल भेज दिया।

३२. नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात

महाराजा ग्वालियर ने अपने राज्य में नागरिक अधिकारों की घोषणा की है। अतएव ग्वालियर में वर्षों से रहने वाले और अपने बाल्यकाल से ग्वालियर को निवास-स्थान समझने वाले ग्वालियर के एक नागरिक को इस प्रकार रतलाम के मेजरशाही षड-

यन्त्रों के बल पर ग़ैरक़ानूनी तरीक़े पर उज्जैन में गिरफ्तार होने के समाचारों से ग्वालियर तथा अन्य रियासतों की जनता स्तब्ध हो गई। श्री वैद्य की गिरफ्तारी के सिलसिले में निम्न बातें सामने आई हैं:—

१. जो चिट्ठी श्री वैद्य ने प्रकाशित की है, वह अंग्रेजी भारत से की है। वह भारत-रक्षा-क़ानून में किसी भी प्रकार से नहीं आती। उसमें युद्ध के विरुद्ध या अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है। वह केवल महाराजा को एक नेक सलाह है।

२. श्री वैद्य रतलाम के नागरिक नहीं हैं। वे पिछले चार वर्षों से रतलाम से निर्वासित हैं। रतलाम की अदालत का उन पर कोई अधिकार नहीं है। अतएव रतलाम की अदालत को ऐसे मामले में भारत-रक्षा कानून की आड़ में वारण्ट निकालने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह वारण्ट अनुचित और ग़ैरक़ानूनी है।

३. ऐसे वारण्ट पर उज्जैन में श्री वैद्य की गिरफ्तारी ग़ैरवाजबी और ग़ैरक़ानूनी थी।

४. ग्वालियर राज्य और रतलाम के बीच में

अभी तक कोई क़रार-भारत रक्षा-क़ानून के आरोपियों के लेन देन के लिये नहीं हुआ और न प्रकाशित ही हुआ है।

५. ग्वालियर की पुलिस के अधिकारी इस प्रकार की ग़ैरक़ानूनी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे। इस गिरफ्तारी को रियासती जनता में नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात समझा गया। देश के अनेकों समाचार-पत्रों ने रतलाम राज्य और उज्जैन के सूबा की इस ग़ैरक़ानूनी कार्यवाही की कड़ी आलोचना की और इसका विरोध किया। मध्यभारत और रियासती जनता के प्रमुख कार्यकर्ताओं, अनेकों संस्थाओं और सभाओं ने एक स्वर से इस प्रकार की कार्यवाही की निन्दा की। न्याय के नाते आवश्यक है कि ग्वालियर के महाराजा उज्जैन के सूबा और उन षडयंत्र-कारी व्यक्तियों को नसीहत दें, जिन्होंने ग्वालियर की शासन व्यवस्था में ऐसी ग़ैरक़ानूनी हलचल की और एक नागरिक को अकारण जेल में रक्खा।

ग्वालियर के अधिकारियों और महाराजा ग्वालियर को जैसे ही श्री वैद्य की गिरफ्तारी की जानकारी मिली, उन्होंने नीचे के अधिकारियों से गिरफ्तारी का जवाब तलब किया और श्री वैद्य को

१००० रुपये की जमानत पर छोड़ दिया। फिर भी वैद्य जी को १५ दिन तक जेल में रहना पड़ा।

३३. झूठी प्रशंसा और प्रदर्शन

इधर तो श्री वैद्य की शिवजी के दल ने इस प्रकार गिरफ्तारी करवाई और उधर शिवा के समर्थकों ने रतलाम के मिल मालिक को आगे कर एक नागरिक संघ कायम करके रतलाम के महाराजा को मान-पत्र देने की योजना की और पोलिटीकल विभाग को यह बताना चाहा कि महाराजा अपनी प्रजा में कितने अधिक लोकप्रिय हैं। रतलाम के अधिकारियों ने न केवल श्री वैद्य की उज्जैन में गिरफ्तारी करवाई बल्कि बडनगर में गैरक़ानूनी तरीके पर रतलाम के श्री सौभाग्यमलजी दलाल को, जो राज्य द्वारा सब प्रकार बर्बाद किये जा चुके हैं तथा श्री छोगालालजी पेन्टर के, जो षडयन्त्र केस में दो वर्ष रतलाम की जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से बरी हुए हैं, मकानों की भी तलाशी बडनगर में गैरक़ानूनी तौर पर झूठे बहानों से लिवाई, किन्तु कोई आपत्तिजनक वस्तु दोनों स्थानों से नहीं मिली। महाराजा को मान-पत्र के समारोह का विवरण उ

अनेक समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, निम्न प्रकार है:—

"रतलाम महाराजा के कुछ राजभक्तों द्वारा नागरिक-संघ नाम की नयी संस्था बना कर, चांदनी चौक में एक विशाल मण्डप, बिजली की रोशनी तथा लाउडस्पीकर आदि से सजा कर, जब मान-पत्र भेंट करने की योजना की गई, तब बहुत ही दिलचस्प किन्तु दुःखपूर्ण दृश्य रतलाम की गरीब जनता को देखने को मिले। शहर में केवल राजमहल और महल से डालूमोदी का बज़ार, बंजाजखाना और चांदनी चौक तक झंडियों और तीन दरवाज़ों से बाजार सजाये गये थे। बिजली भी लगाई गई थी। इसी हिस्से में सब प्रदर्शन था। दूसरी ओर जनता को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि इस अवसर पर जनता पण्डाल पर पहुँच कर महाराजा को अपनी दुःख दर्द भरी मुसीबत की पुकार सुनावें। इस प्रकार नागरिक-संघ के कुछ राजभक्त लोग और क़रीब दस हज़ार अन्य जनता उस पण्डाल में पहुंची। इन ग़रीब लोगों की ओर से उनकी सच्ची पुकार प्रकट करने के लिये एक "अभिनन्दन-पत्र" छपवाकर बांटा गया और उनकी

प्रतियां प्रतिष्ठित नागरिकों, अफसरों, राजा महाराजाओं और भारत सरकार के पोलिटीकल अफसरों को भेजी गई। इस अभिनन्दन-पत्र में महाराजा की प्रजा ने अपनी तकलीफों की चर्चा की है। उधर नागरिक-संघ वाले महाराजा की प्रशंसा का मानपत्र पढ़ रहे थे। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने आवाज़ लगाई कि "अभिनन्दन-पत्र सच्चा है और मानपत्र ढकोसला है।" इस पर पण्डाल में हो हल्ला मच गया और नागरिक संघ वालों के साथ बोलचाल, तनातनी और हाथापाई तक हो गयी। ग़रीब लोग चिल्लाने लगे कि हमें खाने को अन्न नहीं मिलता और जो मिलता है, वह भी सड़ा गला। हम भूखे मर रहे हैं। खूब हल्ला मचा और गड़बडी बढ़ती गयी। कई लोगों को चौटें आई। पुलिस ने पण्डाल में घुस कर बेंतों से और बन्दूक के कुन्दों से लोगों को पीटा। पण्डाल में भगदड़ मच गयी।"

अभिनन्दन-पत्र में जो मांगें की गईं थीं; वे निम्न लिखित थीं:—

"शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी अगणित शिकायतें हैं, जो भारत सरकार द्वारा जांच कमीशन क़ायम होने पर ही सामने रखी जा सकती हैं और

भारत सरकार द्वारा ही शासन-व्यवस्था चलने पर दूर हो सकती हैं। अगर आप राज्य-व्यवस्था भारत सरकार के हाथों में जाने से बचाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार जांच कमीशन क़ायम न करे, तो सही रास्ते पर आ जाइये और कुछ सुधार, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है, शीघ्र ही कर दीजिये:—

१— मेजर शिवजी और उनके कुटुम्ब का सदा के लिए त्याग कर दीजिये तथा जागीर गजोडा खालसा करके उनके लड़कों को राज्य की नौकरी से पृथक करके रतलाम से हमेशा के लिए चले जाने की आज्ञा जारी कर दीजिये। उनके लिए राज्य-कोष से हजारों और लाखों का धन जो खर्च हो रहा है, उसको बन्द कर दीजिये।

२— १६३१ में दस नम्बर की मोटर शहर में दौड़ाई जाकर जिस क़दर धन प्रजा से बटोरा गया है, वह समस्त सूदसहित लौटा दीजिए।

३— पब्लिक लायब्रेरी और पब्लिक पार्क के नाम पर लाटरी खोली जाकर तथा आपके नाम से रुपए पांच हजार उक्त कार्य में देना घोषित किया गया था। वह सब धन व्याज सहित खर्च कर शहर

रतलाम में पब्लिक लायब्रेरी तथा पब्लिक पार्क क़ायम कर दीजिये।

४— शहर रतलाम में नल क़ायम करने के नाम पर जो धन लगभग तीन-चार लाख का राज्य में जमा है, उसका उपयोग उसी कार्य में कर दीजिए अथवा युद्ध के कारण कोई आपत्ति हो तो वह धन सूद सहित इम्पीरियल बैंक में इस कार्य के हेतु जमा कर दीजिये।

५— गत महायुद्ध के समय का राज्य के कृषकों का वारलोन का वापस आया हुआ रुपया, जो लगभग सत्तर-अस्सी हजार है, सूद सहित कृषकों को लौटा दीजिये। एग्रीकलचरल बैंक कृषकों को लाभप्रद न होगा।

६— आपका तथा राजपरिवार का वार्षिक खर्च युद्ध में १६ प्रतिशत और तत्पश्चात १० प्रतिशत से अधिक न होगा, ऐसी घोषणा कर दीजिये।

७— उत्तरदायी शासन पद्धति की पूर्ति करने वाला रतलाम स्टेट एक्ट बना कर शासन व्यवस्था धारा सभा के द्वारा सञ्चालित हों, ऐसी व्यवस्था कर दीजिये। और न्याय-विभाग को पूर्णतया स्वतन्त्रता से कार्य करने की सत्ता प्रदान कीजिये।

८—प्रजा को नागरिक स्वतन्त्रता स्थानीय स्वराज्य के अधिकार दीजिये।

६—राज्यभर में जनता की म्यूनिसिपैलिटी स्थापित करके सेनीटेशन और औषधालय व अस्पताल इत्यादि की उत्तम व्यवस्था करिये। राज्य के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर अधिक शिक्षालय स्थापित कीजिये।

१०—राज्य के कृषकों के लिए क़ानून माल और क़ानून काश्तकार बनाकर जारी करिये। राज्य में मजदूरों के हित के क़ानून जारी करिये।

११—शहर की कुछ सड़कें तथा देहातों में जाने के लिए पक्की सड़कें बनवा दीजिये।

१२—पुलिस डिपार्टमेण्ट की दुर्व्यवस्था, योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाकर दूर कर दीजिये।

१३—राज्य के सरकारी नौकरों को, जिनका वेतन १००) से कम हो, युद्ध काल तक वेतन का चौथाई रुपया मंहगाई के रूप में दीजिये। १००) से अधिक पाने वाले नौकरों की वेतन वृद्धि बन्द कर दीजिये।

१४—राज्यभर में भुखमरी फैलने की आशंका

है। नाज व्यवस्था जो हाल में प्रचलित है, उसमें आमूल परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दीजिए कि जिससे हम गरीब और पीड़ितों को भविष्य में भुखमरी का सामना न करना पड़े। नाज के भाव बांध कर तथा नाज की आमद पर सरकारी कर तथा प्रतिबन्ध हटाकर प्रजा को नाज लाने की छूट दीजिये। ग्रेन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन इस कार्य के लिए लाभप्रद नहीं है।

आपके राज्य के व्यापार-धन्धे नष्ट हो गए हैं। इसलिए कई घर आसपास की रियासतों में और अंग्रेज़ी भारत में चले गए हैं। इस समय अमेरिकन फिचर्स और सट्टा ही मुख्य व्यापार हो रहे हैं। बेरोजगारी के कारण जुर्म बढ़ रहे हैं। इस पुकार पर ध्यान देंगे, तो आप आपत्ति से बच जायेंगे।"

अभिनन्दन-पत्र में प्रगट की गई जनता की इन मांगों पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। इनसे वहां के शासन और जनता की वर्तमान दशा का भी पता चलता है।

३४. न्याय के साथ खिलवाड़

न्याय-विभाग में आज भी खुले रूप में महाराजा और दीवान हस्तक्षेप कर संयुक्त हाईकोर्ट की खुली

अवहेलना कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट एक्ट बनाया गया है, उसके अनुसार हाईकोर्ट को ही अधिकार है कि वह वकीलों को सनद देवे या उसे ज़ब्त करे, लोकल गवर्नमेन्ट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है; किन्तु फिर भी इस मानपत्र के जल्से के दो दिन बाद ही हुक्म नं० ४ तारीख १७ जनवरी ४४ के द्वारा श्री राजसिंह वकील को राजभक्ति के विपरीत कार्य करने के लिए खेद प्रकट करते हुए महाराजा की दया की याचना करने पर वकालत की सनद चालू करने की प्रार्थना को स्वीकार कर के हुक्म दे दिया गया है कि "राजसिंह को वकालत करने का एक मौका और दिया जावे। राजसिंह के विरुद्ध पब्लिक प्रासीक्यूटर ने जो दरख्वास्त हाईकोर्ट में दे रक्खी है; उसकी कार्रवाही आगे न की जावे।" इतना ही नहीं, हाईकोर्ट एक्ट के अनुसार चीफ जस्टिस की राय बगैर न्याय-विभाग में किसी को नौकर रखना, निकालना, अधिकार देना तथा तनख्वाह आदि बढ़ाने या घटाने का कोई अधिकार भी लोकल गवर्नमेण्ट को नहीं है; फिर भी हुक्म नं० २ और २१ के द्वारा ५ फरवरी १९४४ को रतलाम के पुलिस कमिश्नर को जाब्ता फौजदारी और आर्म्स एक्ट १८७८ के अन्तर्गत पहले दरजे के मजिस्ट्रेट के अधिकार महाराजा और दीवान ने दे दिये हैं।

कहां तो पोलिटिकल विभाग ने न्याय की रक्षा

के हेतु न्याय-विभाग पर हाईकोर्ट का नियंत्रण क़ायम किया और कहां महाराजा और दीवान खुले रूप में इस विभाग के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि श्रीकृष्ण वर्मा जैसे मजिस्ट्रेट, ऐसे अनुचित हस्तक्षेप के विरोध में, त्याग-पत्र देकर चले गए हैं।

एक व्यक्ति की प्रसन्नता और मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रतलाम की शासन-व्यवस्था और सत्ता का इतना भयंकर दुरुपयोग किया गया है कि पिछले २० वर्षों में चारों ओर से इसके विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है। भारत सरकार ने एक से अधिक बार शिवजी को रतलाम से दूर रहने की ताकीद की और महाराजा को भी हिदायतें दीं, किंतु महाराजा ने सदा शिवजी का ही साथ दिया। महाराजा तो नियमित रूप से खुले रूप में महीने में चार चक्कर भोपाल के लगाते रहते हैं। उन्हें न तो परवाह है भारत-सरकार की हिदायतों की और न जनमत की। अभी जब जनता ने शिवजी की जागीर जप्त करने की और उसके लड़कों आदि को रतलाम से निकालने की मांग की है, तब जागीर गांव की तलवारबन्दी की रस्म शिवजी के लड़के को तलवार बंधा कर की जा चुकी है और जनता की इस मांग को भी ठुकरा दिया गया है। पुलिस और मिलट्री की सत्ताओं का कैसा दुरुपयोग होता है, यह अभी जो मुकदमा पुलिस के सब इन्स्पेक्टर तथा हेड-कानिस्टेबल पर चला है और जिसमें शिवा का

दाहिना हाथ कौंसिल सेक्रेटरी लक्ष्मीनारायण फरार भी मुल्जिम है, उससे प्रगट होता है।

३५. मजदूरों पर भी वार

अभी अभी इसी हुकूमत ने जो शियादल के हाथों में खेल रही है, रतलाम के उन तीन हजार मजदूरों पर, जो कि इस मौजूदा युद्ध में सहायता करने का दावा कर रहे हैं, वार कर दिया है। कारण स्पष्ट है, जनता के विरोध और भारत सरकार की लाल आंखों से बचाने के लिए जनवरी में रतलाम के मिल मालिक मूलजी सेठ ने नागरिक संघ का सभापतित्व स्वीकार कर उस प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया था, जो महाराजा को लोकप्रिय बताने के लिए रचा गया था। मजदूरों ने अक्तूबर १९४३ में मांग की थी कि महंगाई पांच आना के बजाय साढ़े सात आना मिले। अलावा १७॥=)॥ फ्लेट रेट मिलें, मिल दस घन्टे चले, अनाज अच्छा मिले और बोनस सालाना बेसिक कमाई का ४० प्रतिशत मिले। जनवरी में मजदूर सभा कायम की गई। सरकार ने आश्वासन दे दिया कि इन मांगों का फैसला सरकार करेगी। डेढ़ महीने बाद ११ फरवरी को फैसला सुना दिया गया कि १७ रु० फ्लेट रेट की मांग के अलावा कोई मांग मंजूर नहीं की जा सकती। मजदूर महाराजा के पास पुनर्विचार की मांग के लिए गए — उधर मिल वालों ने मिल बन्द कर दिया। रात पाली बन्द करने

का नोटिस भी निकाल दिया गया। मैनेजर ने कह दिया कि— "हमें मिल नहीं चलाना। जाओ भूखों मरो।" हुकूमत ने मज़दूरों की मांग को ठुकरा कर चालीस मज़दूरों को भारत-रक्षा कानून की आड़ ले कर रतलाम से निकाल दिया। ११ फरवरी से कई सप्ताह मिल बन्द रही। तीन हज़ार मज़दूर हड़ताल पर रहे। हुकूमत ने हड़ताल को कुचल दिया।

रतलाम की जनता के साथ-साथ मज़दूरों ने भी इन्दौर के पोलिटिकल अफसरों और भारत-सरकार से आग्रह किया है कि वे रतलाम की मौजूदा हालत पर ध्यान दें और अपने कर्तव्य का पालन करें।

३६. रतलाम किधर ?

इन सब चर्चाओं के बाद यह सवाल उठता है कि रतलाम का शासन ऐसी अनीति पर चलकर किधर जा रहा है ? रतलाम का शासन पिछले बीस वर्षों में कभी इस लायक़ नहीं रहा कि उसे सुशासन कहा जा सके। न वहां कानून का राज्य है और न व्यवस्था का शासन है। निरंकुशता और स्वेच्छारिता के बल पर जनता का शोषण किया जा रहा है। नागरिकों की इज्जत भी तो सुरक्षित नहीं है। सुधार के उपायों को सदा विरोधी दृष्टि से देखा गया है। राजनीतिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं और शहरी आजादी का निर्दयतापूर्वक दमन किया गया है। यही नहीं रतलाम की सत्ता को

हथियाने वाले शिवादल के साथी आसपास की रियासतों में भी अशांति फैलाकर खुले रूप में वहां भी अपनी मनमानी करने पर आज भी तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सार्वभौम सत्ताको सन् १८१६ के रतलाम के राजा परवतसिंह के शासन से आज के रतलाम के शासन की तुलना करनी चाहिये। सर मालकम के समय अंग्रेजी हुकूमत ने गवालियर के हस्तक्षेप को और फौजों को रतलाम से हटाकर वर्तमान रतलाम के राजा को राजा से महाराजा बनाया, तोपों की सलामी बढ़ाई और सत्ता के अधिकार बढ़ाये; किन्तु जितना रतलाम को आगे बढ़ाया, उतना ही रतलाम का शासन दिन-प्रतिदिन पतन की ओर गया। ऐसी स्थिति में रतलाम के शासन को व्यवस्थित करने के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि फिर से १८१६ के पहले की नीति पर अमल किया जावे। रतलाम के शासन को भारत सरकार हस्तक्षेप करके सुधारे और रतलाम में पुलिस व फौज आदि अपनी रखकर वहां सुशासन को अमल में लावे। आज की समय की पुकार भी यही है कि रतलाम जैसी छोटी रियासतों को पास के इलाक़ों में शासन की दृष्टि से मिला दिया जावे। अंग्रेजी हुकूमत इस नीति को अमल में भी ला रही है। अतएव इस दिशा में जल्दी क़दम उठाकर रतलाम की अव्यवस्था का अन्त किया जाना चाहिये। महाराजा

ग्वालियर को भी यह चाहिये कि वे शिवजी दल और उनके साथियों को अपने यहां अड्डा बनाने का अवसर न दें। रतलाम ग्वालियर का एक संरक्षण-प्राप्त राज्य रहा है। आज यदि ब्रिटिश सरकार ने उसकी सत्ता स्वतन्त्र बनाकर उसको उससे पृथक कर दिया है, तो भी ग्वालियर के महाराजा का इतना कर्तव्य तो निश्चय ही है कि वे रतलाम के कुशासन की बीमारी को अपने यहां न फैलने दें और अपने यहां के अधिकारियों तथा लोगों को उसमें हाथ न रंगने दें। यदि अंग्रेजी हकूमत सचमुच ही देश में सुशासन कायम करने का दावा करती है, तो रतलाम में सुशासन कायम करना उसका कर्तव्य है और उसके लिये उसे जो भी कदम उठाना पड़े, उसके उठाने में उसे सङ्कोच नहीं करना चाहिये। रतलाम की जनता को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिये, देखें, उसकी ओर से इस कर्त्तव्य का पालन किस रूप में किया जाता है।

मारवाड़ी प्रगति संघ

[परिचय]

भारत में अंग्रेजी राज क़ायम होने पर प्रान्तों का जो सर्वथा अस्वाभाविक एवं कृत्रिम बटवारा किया गया है, उससे सबसे अधिक हानि मारवाड़ को झेलनी पड़ी है और उसका सांस्कृतिक विकास सर्वथा रुक कर उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं परम्पराओं का भी विकास नहीं हो सका। अंग्रेजी राज से पहले भी मारवाड़ राजपूतों, मराठों और मुगलों की महत्वाकांक्षा की क्रीड़ाभूमि बना रहा। सिन्ध के थारपारकर प्रदेश से पञ्जाब की सतलज नदी तक मारवाड़ की भूमि फैली हुई है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इस सारे प्रदेश को ही मरुभूमि होने से मारवाड़ कहना चाहिए। लेकिन, आज केवल जोधपुर राज्य को मारवाड़ के नाम से पुकारा जाता है और वहां के ही राजा मरुधराधीश कहे जाते हैं। इस समय मारवाड़ मरु-प्रदेश मुख्यतः राजपूताना, मध्यभारत और अजमेर-

मेरवाड़ा के तीन भागों में बटा हुआ है। इन तीन भागों में भी लगभग सवा सौ देसी नरेशों तथा इस्तमुरारदारों और ब्रिटिश- सरकार की हकूमत कायम है। फिर, एक-एक देसी नरेश के राज्य में भी अनेकों,—बड़े-बड़े राज्यों में तो सैकड़ों ठिकाने हैं, जिनमें ठाकुरों की हकूमत है। इनके अलावा बहुत-सा हिस्सा आसपास के सिन्ध एवं पञ्जाब के प्रान्तों के अनेक जिलों में बांट दिया गया है। दिल्ली में मुगलों के जमाने में भी जोधपुर एवं जयपुर की हकूमत कायम थी, जिसका मतलब यह है कि दिल्ली और हरियाना तो मारवाड़ के ही हिस्से हैं। इस प्रकार दस-बारह दर्जन छोटे-बड़े टुकड़ों में इस विस्तृत महादेश के बट जाने से इसकी भाषा, संस्कृति, साहित्य, इतिहास तथा परम्पराओं का और यहां के निवासियों का वैसा विकास नहीं हो सका, जैसा बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र आदि प्रान्तों और उनमें रहने वालों का पिछली सदी में हुआ है। प्रान्तीयता भी साम्प्रदायिकता के समान अभिशाप है और सार्वभौम मानवता की दृष्टि से राष्ट्रीयता को भी अभिशाप माना जाता है; लेकिन, सार्वभौम भावना को जगाने के लिए पहली सीढ़ियां प्रान्तीयता

एवं राष्ट्रीयता ही हैं। सार्वभौम भावना को विकसित करने के लिए प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता की प्रसव-वेदना को तो सहना ही होगा। इस लिए सुविस्तृत मारवाड़ महाप्रदेश के निवासियों में, चाहे उनका धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि कुछ भी क्यों न हो और आज उनको भिन्न-भिन्न देसी राज्यों और प्रान्तों की कृत्रिम सीमाओं में भी क्यों न बांट दिया गया हो, एकता की भावना पैदा कर अन्य प्रान्तवासियों के समान उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं परम्पराओं का विकास करने के लिए मारवाड़ी के नाते एकत्व की भावना अवश्य पैदा करनी होगी। मारवाड़ी समाज में इस भावना को पैदा कर उसके सर्वतोमुखी सांस्कृतिक विकास, सामाजिक प्रगति और धार्मिक जागृति के लिये इस संस्था का संगठन किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्य मरु-प्रदेश के समस्त निवासियों में एक प्रान्त के निवासी होने के नाते एक प्रान्तीयता किंवा राष्ट्रीयता की भावना इस लिए पैदा करनी है कि इस महाप्रदेश के निवासी भी अपने राष्ट्र की व्यापक प्रगतिशील प्रवृत्तियों में अपना पूरा हिस्सा उचित रूप से अदा कर सकें।

इसका कार्य मुख्यत: निम्न प्रकार होगा:—

१. मारवाड़ी पब्लिसिटी व्यूरो

इस व्यूरो की प्रवृत्तियां द्विमुखी होंगी। एक तो मारवाड़ के सार्वजनिक जीवन में होने वाली धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति एवं प्रगति के समाचारों का संग्रह करके उनको भारतवर्ष के यथा-सम्भव अधिक से अधिक पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करना और दूसरा देश की सार्वजनिक प्रगतिशील प्रवृत्तियों में मारवाड़ी समाज जो भी सहयोग दे, उसको सर्वसाधारण के सामने लाने के लिए उसे भी समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने का समुचित प्रबन्ध करना। मारवाड से बाहर भिन्न-भिन्न प्रान्तों और नगरों में जाकर मारवाड़ी भाइयों ने व्यापार-व्यवसाय द्वारा पैसा ही पैदा नहीं किया, बल्कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों की वृद्धि एवं उन्नति में सहायक होने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन के विकास में भी बहुत बड़ा भाग लिया है। अनेक सार्वजनिक संस्थाओं एवं सङ्गठनों को उन्होंने जन्म दिया है। कितनी ही संस्थाओं एवं सङ्गठनों को अपने तन, मन और धन से सहयोग दिया है।

अपने धन का अपने देश एवं राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने में मारवाड़ी समाज किसी से भी पीछे नहीं रहा। लेकिन, इन सबको समुचित प्रकाशन नहीं मिलता। इस लिए इस ब्यूरो द्वारा इस सबको प्रकाशन देने की व्यवस्था की जायगी, जिससे यह सब सर्वसाधारण के सामने आता रहे और मारवाड़ी समाज को अपने कार्य के लिए कीर्ति एवं यश के रूप में यथोचित पुरस्कार भी मिलता रहे।

मारवाड़ के प्रति मारवाड़ी भाइयों का जो कर्तव्य है, उसका पालन व्यक्तिगत रूप से अवश्य किया गया है। लेकिन, सामूहिक रूप से उतना नहीं किया गया। मारवाड़ के नाते मारवाड़ीपन की सामूहिक भावना का समाज में विकास नहीं हो सका। यही कारण है कि शेखावटी में पिलानी, नवलगढ़, रामगढ़, मुकुन्दगढ़, फतहपुर, मंडावा अथवा बगड़ तथा कुछ अन्य स्थानों के समान सब स्थानों पर सार्वजनिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका। इस सामूहिक भावना को पैदा करने के लिए सारे समाज में मारवाड़ के प्रति सामूहिक प्रतीति एवं अनुभूति का पैदा करना आवश्यक है और उसी के लिए सारे ही मारवाड़ के सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के

समाचार समाज के सामने आते रहने चाहियें मारवाड़ी समाज के गौरवस्तम्भ स्वर्गीय सेठ जमनालालजी बजाज ने जयपुर-सत्याग्रह के लिए प्रस्थान करते समय कहा था कि मैं अपने जन्म-प्रदेश के प्रति मारवाड़ी भाइयों की उपेक्षा का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। देशी राज्यों की दीन-हीन एवं मूक जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन वस्तुतः प्रायश्चित ही है। सारे मारवाड़ और सारे समाज की दृष्टि से यह प्रायश्चित और भी अधिक व्यापक रूप में किया जाना चाहिये। लेकिन, उसके लिए कोई भावना तब तक पैदा नहीं हो सकती, जब तक कि मारवाड़ की व्यापक जागृति, प्रगति एवं आन्दोलन की जानकारी प्राप्त न हो और उसके लिए कोई ममता पैदा न हो। इस लिए इस जानकारी को ब्रिटिश भारत में दूर दूर बसे हुये मारवाड़ी भाइयों तक पहुंचाना जरूरी है। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, अलवर, कोटा, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा रतलाम आदि में जब भी कोई सार्वजनिक आन्दोलन किंवा सत्याग्रह आदि हुआ, तब सदा ही प्रकाशन की कमी को अनुभव किया गया और आज भी किया जा रहा है। इससे जहां मारवाड़ महाप्रदेश के इन राज्यों में होने वाली जागृति, प्रगति एवं आन्दोलन को बल मिलेगा, वहां ब्रिटिश भारत में दूर-दूर तक बसे हुये मारवाड़ी

भाइयों में मारवाड़ के प्रति प्रेम, ममता, सहानुभूति एवं आकर्षण पैदा होगा। इसलिए इस ब्यूरो द्वारा मारवाड़ के भिन्न-भिन्न स्थानों और देश में चारों ही ओर बसे हुये मारवाड़ी समाज से सम्पर्क क़ायम करके समाचारों का संग्रह किया जायगा और देश के अधिक-से-अधिक पत्रों में उनके प्रकाशन की व्यवस्था की जायगी।

२. मारवाड़ी डाइरेक्टरी

मारवाड़ी समाज की सार्वजनिक प्रगतिशील प्रवृत्तियों का एक सुन्दर परिचयात्मक संग्रह निश्चय ही प्रकाशित किया जाना चाहिये। इसके अभाव में मारवाड़ी समाज की सेवाओं का किसी को भी पता नहीं चलता और समझा यह जाता है कि मारवाड़ी केवल पैसा बटोरने और स्वार्थ-साधन में लगे रहते हैं। जबकि सचाई यह है कि मारवाड़ी समाज ने देश के सार्वजनिक जीवन के विकास में बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है। इस कार्य का एक सुन्दर, विस्तृत एवं व्यापक रिकार्ड तैयार करने के लिए यह डाइरेक्टरी तैयार की जायगी। मारवाड़ी भाई देश में चारों ओर फैले हुए हैं। इस लिए उनकी प्रवृत्तियें

भी देशव्यापी हैं। फिर, मारवाड़ी से अभिप्राय उन सब लोगों से है, जिनका सम्बन्ध सिन्ध से सतलज तक फैले हुए मरु-प्रदेश के साथ है, भले ही वे राजा, महाराजा, राजपूत, क्षत्रिय, जाट, वैश्य या ब्राह्मण आदि में से किसी भी जाति, सम्प्रदाय एवं वर्ग के क्यों न हों और उन्होंने देश के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों न काम किया हो। इसके सम्पादन के लिए कितने समय, कितनी मेहनत और कितने साधनों की आवश्यकता होगी, — इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिये। इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मारवाड़ी समाज पर जो भी आक्षेप किए जाते हैं, उनका प्रतिवाद इस डाइरेक्टरी से बहुत आसानी और खूबी के साथ हो जाएगा।

३. महिला-परिषद्

धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति के बिना राजनीतिक क्रान्ति भी सफल नहीं हो सकती और न उसके बिना राजनीतिक जागृति को ही बल मिल सकता। राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये परायों की पराधीनता के बंधन तोड़ने से पहिले अपनी मनसिक,

आत्मिक एवं बौद्धिक दासता को दूर कर धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वाधीनता का प्राप्त करना आवश्यक है। इसका अभिप्राय उच्छृङ्खलता न होकर सदसद् विवेक-बुद्धि का विकास कर समाज में स्वतन्त्र विचार करने की प्रवृत्ति को जगाना है। इस दृष्टि से आज महिला-समाज सब से अधिक दीन-हीन एवं पराधीन स्थिति में पड़ा हुआ है। उसका विकास सर्वथा रुका हुआ है। इसी लिये महिला-आन्दोलन एवं महिला-जागृति धार्मिक एवं सामाजिक जागृति के प्रतीक हैं। महिला-आन्दोलन एवं महिला-संगठन का श्रीगणेश इसी दृष्टि से करने का विचार है। वैसे तो निस्संदेह मारवाड़ी महिलाओं में जागृति बहुत तेजी के साथ हो रही है; लेकिन, उसको संगठित रूप देकर उसका ठीक दिशा में सञ्चालन करने की आवश्यकता है। देशव्यापी दृष्टि से मारवाड़ी महिलाओं का एक देशव्यापी संगठन अवश्य बनाया जाना चाहिए। समाज में ऐसे सुशिक्षित और प्रगतिशील परिवारों और महिलाओं की कमी नहीं है, जिनका सहयोग बहुत सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक सहानुभूति, सहयोग और सहायता मिल जाने पर एक परिषद् का संगठन करके उसकी ओर

से एक ऐसी मासिक-पत्रिका भी प्रकाशित की जा सकती है, जो किसी भी परिवार के बालक-बालिकाओं तथा युवकों और घर के अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो। इस पत्रिका द्वारा मारवाड़ी महिलाओं के आन्दोलन का सञ्चालन एवं पथ-प्रदर्शन करते हुए घर में नवयुग की जागृति एवं प्रगति का संदेश भी पहुँचाया जा सकता है।

४. 'मारवाड़ी' पत्र

साप्ताहिक पत्र शुरू करने की जल्दी नहीं है। इसके लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा की जायगी और वातावरण अनुकूल बनाने के लिए मारवाड़ी भाइयों की सहानुभूति एवं सहृदयता प्राप्त करने का यत्न किया जायगा।

आर्थिक सहायता

कम से कम २५०००) रुपये प्राप्त हो जाने पर ये कार्य शुरू किए जा सकते हैं। कार्य के महत्व को देखते हुए यह आशा सहज में की जा सकती है कि सारे देश में फैले हुए मारवाड़ी भाई, जो लाखों रुपया प्रतिवर्ष देश, समाज, जाति एवं राष्ट्र के लिए खर्च करते हैं, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये भी यथा-

शक्ति और यथासम्भव कुछ न कुछ सहायता अवश्य देंगे। मारवाड़ी भाइयों के पूरे सहयोग की आशा पर इस संस्था की स्थापना की गई है।

सहायता दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो इस संस्था के संरक्षक बन कर और दूसरे सहायक बन कर। सहायक बनने वाले महानुभावों से यह आशा की जाती है कि वे कुछ नियत वर्षों तक संस्था को प्रतिवर्ष नियत रकम देकर उसकी सहायता करेंगे। यह सहायता कम से कम १०) तो होनी ही चाहिये। संरक्षक बनने वाले महानुभाव अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार जितनी भी सहायता करें, थोड़ी है। अब तक जिन सज्जनों से भी इस योजना के सम्बन्ध में चर्चा या विचार हुआ है, उन सभी ने इसको सराहा और पसन्द किया है। सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा न होकर व्यक्तिगत रूप से ही चर्चा की जा सकी है। अनेक महानुभावों ने संरक्षक बन कर संस्था को अपनाया है। हमें पूरी आशा है कि अन्य धनीमानी सज्जन भी इसी प्रकार संस्था को अपनाने की कृपा करेंगे और यह संस्था मारवाड़ी समाज की कुछ ठोस एवं स्थायी सेवा करने में समर्थ हो सकेगी और भारतीय राष्ट्र के एक महत्वशाली तथा प्रभाव-

शाली अंग को बलवान् बना कर उसके प्रति अपने कर्तव्य एवं दायित्व को पूरा करने में उसे समर्थ बना सकेगी। मारवाड़ महाप्रदेश के नाते मारवाड़ी समाज में जीवन एवं जागृति पैदा कर उसकी सर्वांगीण सार्वजनिक प्रवृत्तियों को बलशाली बनाने का यही प्रयोजन है।

संरक्षक

३० अप्रैल तक संरक्षक बनने की कृपा करने वाले महानुभावः—

रुपये	नाम
५५५)	सेठ रामसहायमलजी मोर
५००)	,, रामगोपालजी मोहता
५००)	,, रामदेवजी पोद्दार
५००)	,, सोहनमलजी गोलछा
४००)	,, सेठ सोहनलालजी दूगड
५००)	,, बनारसीदास जी झुंझनूवाला
५००)	,, काशीरामजी चौधरी
४००)	,, गजाधरजी सोमानी
५००)	राजा लक्ष्मीनिवासजी गनेरीवाला
५०१)	श्री लालचन्दजी सोनी
३००)	सेठ मंगतूरामजी जयपुरिया
३००)	,, रामेश्वरलालजी नोपाणी

३००) श्री पूरनमलजी बूबना
३००) सेठ सोहनमलजी मुरारका
२५१) ,, मदनलालजी सरावगी
२५०) राजा बहादुर नारायणलाल जी पित्ती
२५०) सेठ राधाकृष्ण जी मोहता
२५०) सेठिया बन्धु
२५०) सेठ लक्ष्मीनारायण जी गाडोदिया
२५०) ,, बेनीप्रसाद जी जयपुरिया
२५०) ,, बंजीलाल जी ठोलिया
२५०) ,, किशनलाल जी गोइनका
२५१) ,, कपूरचन्द जी पोद्दार
२५१) ,, इन्द्रचन्द जी केजड़ीवाल
२५१) श्री ठाकुर साहब खडू
२५१) श्रीमती चन्द्रावती रिषभसेन जैन
२५१) श्रीमती पार्वतीदेवी डीडवानिया
२००) सेठ मथुरादास जी मोहता
२००) ,, किशनलाल महादेव जी धूत
२००) ला० सरदारीमल जी गोटेवाले
२००) सेठ चम्पालाल जी बांठिया
२००) ,, भागीरथदास जी मोहता
२००) श्री सुन्दरलाल जी डागा एम. एल. ए.

२००) सेठ बंशीधर जी डागा
२००) „ रामेश्वरदास हनुमानप्रसाद सोमानी
२००) पुरोहित स्वरूपनारायण जी
२०१) „ रामेश्वरदास जी मुरारका
२००) राजस्थान क्षत्रिय महासभा
१५०) ला० परशादीलाल जी पाटणी
१००) श्री तख्तमल जी जैन
१०१) सेठ श्रीनिवास जी बम्बईवाला
१००) „ वल्लभदास जी राठी
१२५) „ पुखराज जी कोचर
१००) „ त्रिम्बकलाल जी कोचर
१०१) श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी
१०१) सेठ मानकचन्द जी बागड़ी
१०१) „ श्रीलाल जी सांवलका
१०१) „ शिवकृष्ण जी भंवर
१०१) „ चम्पालाल जी बागड़ी
१०१) „ जोखीराम बैजनाथ
१०१) „ मोतीलाल जी देवड़ा
१०१) „ शिवचन्द जी सोनी
१०१) „ सूरजबक्स जी धिया
१०१) „ गणेशप्रसाद जी भिमानी

१००) ,, बनवारीलालजी लोहिया
१०१) श्री विश्वनाथजी सारस्वत
१०१) श्रीमती इन्दिरादेवी ,,
१००) श्री चांदकरणजी शारदा
१०१) सेठ नरसिंहदासजी सिंहानिया
१००) राजा साहब बदनौर
१००) श्री मदनलालजी सोढानी
१००) ,, प्रहलादरायजी साबू
१००) ,, विद्याधरजी कुलहरि
१००) सेठ बद्रीदासजी गोयनका

राजा साहब भिनाय, रावसाहिब मसूपा, बनेड़ा के महाराजकुमार, सेठ रामरत्नजी गुप्त एम. एल. ए. (सेण्ट्रल) सेठ सदासुखजी कावरा कुचामण तथा कुछ अन्य महानुभावों ने भी संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया है।

सहायक

१०) सेठ बालकृष्णजी मोहता
१०) श्री धर्मचन्दजी सुराना
१०) ,, देवीदत्तजी पंत
१०) ,, रतनलालजी दूगड़
१०) सेठ भीमराज जी दूगड़

१०) श्री व्यंकटलालजी ओझा
१०) „ मुरलीमनोहरजी शर्मा
१०) एक ओसवाल युवक

सहायक बनाने के लिये विशेष प्रयत्न नहीं किया जा सका है।

संघ की रजिस्ट्री कराने अथवा ट्रस्ट बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है। यह कार्यवाही हो जाने पर संस्था का संगठन पूरा हो कर नियमित रूप से इसका कार्य शुरू हो सकेगा। अभी केवल पब्लिसिटी ब्यूरो का ही काम किया जा रहा है।

विनीत,

२५. ४. ४४. सत्यदेव विद्यालङ्कार

४० ए, हनुमान रोड़, नई दिल्ली।

"सन् १८१६ ई० तक रतलाम में महाराजा शेंधिया की फ़ौजें रहती थी और सुशासन के लिये रतलाम के शासन में शेंधिया की ओर से निरन्तर हस्तक्षेप होता रहता था। किन्तु सन् १८१६ में अंग्रेज़ी हुकूमत की ओर से सर मालकम की मध्यस्थता से रतलाम के राजा परबतसिंह ने महाराजा शेंधिया को ८५०००) रु० शालमशाही वार्षिक देना मंज़ूर किया, तब शेंधिया ने अपनी फ़ौजें रतलाम में रखना बन्द किया।"

(एचिन्सन भाग ४ पृष्ठ २८६)

छोटी रियासतें

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के आठवें अधिवेशन में पं० जवाहरलालजी नेहरू की अध्यक्षता में फरवरी १९३९ में निम्न प्रस्ताव पास हुआ था:—

"परिषद् की यह विचारपूर्ण सम्मति है कि केवल वे ही रियासतें, जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक अथवा वार्षिक आय पचास लाख रुपयों से अधिक है, अपने शासन की व्यवस्था को इस योग्य रख सकती हैं कि संघ-शासित स्वतन्त्र भारत में प्रान्तों के समान शामिल हो सकें। इसलिये ऐसी तमाम रियासतें, जिनकी जनसंख्या और आबादी इससे कम हैं, उन्हें अकेले अथवा सामूहिक रूप में शासन-व्यवस्था के लिये पास के इलाक़ों में मिला देना चाहिये और सम्बन्धित रियासतों के शासकों के उचित अधिकारों और सुविधाओं की रक्षा के लिये योग्य व्यवस्था की जानी चाहिये। यह परिषद् इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस से आग्रह करती है कि वह इस प्रकार की रियासतों को मिलाने और उनकी व्यवस्था की रूपरेखा निश्चित् करने के लिये एक जांच समिति क़ायम करे।"